

इसे वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2017—श्रावण 13, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. ई-1-216-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भारप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में
दर्शाएं गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान
पदस्थापना

नवीन पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद
असंवर्गीय होने की दशा में
संवर्गीय पद जिसके समकक्ष
घोषित किया गया

(1) (2)
1 डॉ. मसूद अख्तर (2002),
संचालक, पंचायतीराज.

(3)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(4)

—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री एस.एन.एस. चौहान (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	—
3	श्री अभय कुमार वर्मा (2007) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा उपसचिव, पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार.	—
4	श्री भरत यादव (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास तथा पर्यावरण विभाग.	—
5	श्री शमीम उद्दीन (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	संचालक, पंचायतीराज	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
6	श्री धनराजू एस (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
7	श्री उमेश कुमार (2009), विशेष सहायक, मा. पूर्व मुख्यमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह).	संचालक, एम.पी. स्टेट इंडस कंट्रोल सोसायटी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8	कु. शैलबाला अंजना मार्टिन (2009), अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	सी.ई.ओ. एमपी इन्टरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव (2009), विशेष सहायक, मा. मंत्री, ऊर्जा, खनिज साधन विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग.	—

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2017

क्र. ई-1-206-2017-5-एक.—सुश्री नेहा मीना, भाप्रसे (2014),
सहायक कलेक्टर, इन्डौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक,
स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली जिला देवास
पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-225-2017-5-एक.—श्री संजीव सिंह, भाप्रसे (2005),
संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक,
आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) का अतिरिक्त प्रभार को अपने
वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (MPSSDM)
का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार
व्यास, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण
सङ्गठन विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग को दिनांक 27 जुलाई से 3 अगस्त 2017 तक आठ
दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में मुख्य
कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्गठन विकास प्राधिकरण,
भोपाल तथा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार
श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन
सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्गठन विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया
जाता है।

(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्गठन विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर
श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने
के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-890-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 10 से 22 जुलाई 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, सिंगरौली का प्रभार श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रियंक मिश्रा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्र. ई-1-211-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री रवि डफरिया (2006) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।	सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
2	श्री संजय गुप्ता (2007), अपर कलेक्टर, जबलपुर।	संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।

क्र. ई-1-227-2017-5-एक.—सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर जिला सतना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण जो कि दिनांक 9 से 15 जुलाई 2017 तक आयोजित है, के अनुक्रम में दिनांक 16 से 19 जुलाई 2017 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण जो कि दिनांक 9 से 15 जुलाई 2017 तक आयोजित है, के अनुक्रम में दिनांक 16 से 19 जुलाई 2017 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2017

क्र. ई-1-197-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

		तालिका	
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. श्रीकांत पाण्डेय (2007), अपर कलेक्टर, रीवा.	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे (2010), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मैप आईटी, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं सचिव, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का अतिरिक्त प्रभार.	सचिव, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-1-211-2017-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2017 के पद-2 जिसके द्वारा श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे (2007), अपर कलेक्टर, जबलपुर को संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-232-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

		तालिका	
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय बंदोपाध्याय (1988) पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	—
2	श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
3	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994), आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा वि.क.अ.-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
4	शिवशेखर शुक्ला (1994), पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा	—
5	श्री कवीन्द्र कियावत (2000), आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का अतिरिक्त प्रभार.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	—
6	श्री पी. नरहरि (2001), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	—
7	श्री आशुतोष अवस्थी (2001) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय.	आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का अतिरिक्त प्रभार.	—
8	श्री बी. चन्द्रशेखर (2002), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय	—
9	श्री पन्नालाल सोलंकी (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.	कलेक्टर, श्योपुर	—
10	श्री राकेश सिंह (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं.	—
11	श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), कलेक्टर, श्योपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	—
12	श्रीमती सपना निगम (2010), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड.	—
13	श्री रोहित सिंह (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा.	—

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का प्रभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संचालक, आरसीडीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी (अतिरिक्त प्रभार) एवं आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, उद्योग, प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. ए.ल. कांताराव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्योग विभाग, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम के प्रभार से तथा श्री डी.पी. आहूजा, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन (ट्रायफेक) तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-5-532-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को दिनांक 27 जुलाई से 8 सितम्बर 2017 तक, चवालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एस. बंसल, विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (केवल निर्वाचन कार्य) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017

क्र. ई-1-235-2017-5-एक.—सुश्री प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, नगर निगम, सतना पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री पाल द्वारा आयुक्त, नगर निगम, सतना का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत आयुक्त, नगर निगम, सतना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. ई-1-181-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1993 के अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रूपये 1,82,200—2,24,100 (पे मेट्रिक्स-15) में पदोन्नत करते हुए, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाएं गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय दुबे, कमिशनर, इन्डौर संभाग, इन्डौर.	वि.क.अ.-सह-कमिशनर, इन्डौर संभाग इन्डौर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	डॉ. मनोहर अगानानी, कमिशनर, सागर संभाग, सागर.	वि.क.अ.-सह-कमिशनर, सागर संभाग सागर.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3	श्री नीरज मण्डलोई, आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
4	श्री अनुपम राजन, पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एवं आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय.	पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एवं आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री अनुरूद्ध मुकर्जी, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना (अतिरिक्त प्रभार).	—
6	श्रीमती दीपि गौड़ मुकर्जी, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	—
7	श्री आर. के. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विषयक बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी.	वि.क.अ.-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विषयक बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी.	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीब-5-एक.—श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., कलेक्टर जिला टीमकगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 द्वारा दिनांक 27 जून से 5 जुलाई 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-1025-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2017 द्वारा दिनांक 27 जून से 7 जुलाई 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 जून 2017 से 1 जुलाई 2017 तक पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

1

क्र. एफ 1(बी) 159-16-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2014 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 96-81-2016-चयन, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित

मुख्य सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों की उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावा उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित कारणों के आधार पर सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता हैः—

स.क्र.	मैरिट क्र./ अनुक्रमांक	नाम	सीट	त्रेणी	नियुक्ति का दावा समाप्त करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	08/186711	सुश्री रचिता रघुवंशी	UNRF	GEN	आवेदन पत्र दिनांक 15-5-2017 द्वारा लिखित में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण/नियुक्ति हेतु इच्छुक न होने की सूचना दी गई।
2	50/125746	सुश्री दीप्ति चौधरी	ST	ST	आवेदन पत्र दिनांक 17-1-2017 द्वारा लिखित में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण/नियुक्ति हेतु इच्छुक न होने की सूचना दी गई।
3	53/116148	श्री अभिलाष मेरावी	ST	ST	आवेदन पत्र दिनांक 3-3-2017 द्वारा लिखित में आंख में समस्या होने के कारण चिकित्सक द्वारा मेडिकल में अनफिट कर दिये जाने के कारण उप पुलिस अधीक्षक का पद ग्रहण करने में असमर्थ होने की सूचना दी गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

फा. क्र. 2716-2017-इकाई-ब (एक)

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

प्रति,

श्री तरुण राकेश स्टेण्डली,
अपर जिला न्यायाधीश, पिछोर,
जिला शिवपुरी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की है कि आपके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोक हित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाये। आप दिनांक 30 जुलाई 2017 को 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उस पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जा कर आपको लिखित सूचना देकर लोक हित में सेवानिवृत्त किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (अद्यतन संशोधित) नियम 1994 के नियम 14 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा दिनांक 30 जुलाई 2017 को आपके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये जाने पर लोक हित में दिनांक 31 जुलाई 2017 से सेवानिवृत्त करता है।

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के बेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव।

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. एफ-22-5-2008-आठ.—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का आ 1374 (अ) कंडिका-(ख) के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा कार्यालय इयूटी पर पुलिस वाहनों को बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात किया गया है। इसी अधिसूचना की कंडिका-3 द्वारा राज्य शासन के परिवहन विभाग को उन प्रतिधकारियों की सूची, जिहें इस प्रकार की वाहनों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई है जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है, तदनुसार गृह (पुलिस) विभाग की निम्नांकित प्रतिधकारियों के वाहनों पर बहु-रंगी लाल, नीली एवं सफेद बत्ती का प्रयोग अनुज्ञात होने की सूचना आम जनता की जानकारी में लाने हेतु एतद्वारा जारी की जा रही है:—

1. मध्यप्रदेश पुलिस के अन्तर्गत संचालित “डायल-100” योजना में कार्यरत वाहन.
2. पुलिस कन्ट्रोल रूम में कार्यरत कानून-व्यवस्था इयूटी संबंधी कर्तव्य निर्वहन वाले वाहन.
3. पुलिस थानों में कानून-व्यवस्था में कर्तव्य निष्पादन वाले वाहन.
4. जिलों में कार्यरत नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक.
5. जिलों के पुलिस अधीक्षक.
6. रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक.

इन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ग्राम्य में सुरक्षा-मुद्रित वाटर मार्क पेपर पर जारी स्टिकर को अपनी विन्डस्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। एक समय बिन्दु पर एक यान के लिये पदाधिकारी को केवल एक स्टिकर जारी किया जायेगा।

राजीव दुबे, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. एफ 6-2-2016-अठावन.—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 से रबी 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु विभाग की समसंबंधित अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल 2017 द्वारा परिशिष्ट-5 में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची अधिसूचित की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए संलग्न अनुपरक परिशिष्ट-5 के कॉलम 9 अनुसार मौसम केन्द्र के आँकड़े प्रदाय दाता कम्पनी के नाम संशोधित किये जाते हैं, शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

अनुपूरक परिशिष्ट-6

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016-17 से रबी वर्ष 2018-19 के क्रियान्वयन हेतु स्वचलित मौसम केन्द्रों की सूची

क्रमांक	ज़िला	तहसील	राजस्व बोर्ड	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित मौसम केन्द्र का दैक्षिण्यक मौसम केन्द्र	मौजा कम्पनी का नाम	पूर्व प्रकाशित मौसम के आकड़े प्रदायदाता कम्पनी	संशोधित मौसम के आकड़े प्रदायदाता कम्पनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider	
1080	Dewas	Bagli	Bagli 1	Guradiakla	Kamalapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1081	Dewas	Bagli	Bagli 1	Kamalapur	Guradiakla	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1082	Dewas	Dewas	Dewas 1	Mudka	Salmkedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1083	Dewas	Dewas	Dewas 1	Salmkedi	Mudka	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1084	Dewas	Dewas	Dewas 2	Bhangarh	Ptadi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1085	Dewas	Dewas	Dewas 2	Ptadi	Bhangarh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1086	Dewas	Hatapipalya	Hatapipalya	Arlavda	Avrajasanji	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1087	Dewas	Hatapipalya	Hatapipalya	Avrajasanji	Arlavda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1088	Dewas	Kannod	Kannaud	Bagankedha	Kothmeer	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1089	Dewas	Kannod	Kannaud	Kothmeer	Bagankedha	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1090	Dewas	Khategaon	Haranagany	Bhukia	Kalibai	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1091	Dewas	Khategaon	Haranagany	Kalibai	Bhukia	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1092	Dewas	Khategaon	Khategany	Dhundiyakedi	Ninvora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1093	Dewas	Khategaon	Khategany	Ninvora	Dhundiyakedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1094	Dewas	Satavas	Satavas	Bajjagvadha	Jansur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1095	Dewas	Satavas	Satavas	Jansur	Bajjagvadha	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1096	Dewas	Sonkach	Bhaurasa	Sarsoda	Chaubarajagir	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1097	Dewas	Sonkatch	Sonkachchh	Chaubarajagir	Kachannaria	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1098	Dewas	Sonkatch	Sonkachchh	Kachannaria	Chaubarajagir	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1099	Dewas	Tonkhhurd	Chaubaradhira	Kamalapur_1	Guradiakla	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1100	Dewas	Tonkhhurd	Tonkakhurd	Barwakedi	Kamalapur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1101	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Imlipura	Pipri	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1102	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Pipri	Imlipura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1103	Dewas	Udayanagar	Udayanagar	Singla Deh	Imlipura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1104	Guna	Aaron	Aaron 2	Bakaan	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1105	Guna	Aaron	Barkhedahat-1	Boodhaakheda	Sagaavarakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1106	Guna	Aaron	Barkhedahat-1	Sagaavarakheda	Boodhaakheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1155	Singrauli	Chitrangi	Chitrangi-3	Dhawai	Chitrangi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1156	Singrauli	Chitrangi	Dudhamaniya	Saketi	Bagdewa	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1157	Singrauli	Chitrangi	Koraval-1	Khamhariya	Pondi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1158	Singrauli	Chitrangi	Koraval-1	Pondi	Rahlon Khurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1159	Singrauli	Chitrangi	Mauhariya	Bagdewa	Saketi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1160	Singrauli	Devasar	Baragavan	Jobgarh	Amo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1161	Singrauli	Devasar	Devasar Gird	Amo	Jobgarh	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1162	Singrauli	Devasar	Saraudha	Khandauli	Amo	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1163	Singrauli	Manda	Amiliya	Karsualal	Pondi Path	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1164	Singrauli	Manda	Manda-2	Kumhiya	Pondi Path	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1165	Singrauli	Manda	Manda-2	Pondi Path	Kumhiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1166	Singrauli	Sarai	Khanuaa Naya	Gorwani	Dudhiyatola	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1167	Singrauli	Sarai	Niwas	Rajania	Dudhiyatola	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1168	Singrauli	Sarai	Sarai	Dudhiyatola	Rajania	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1169	Singrauli	Singrauli	Baidhan	Itma (Waidhan)	Bihara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1170	Singrauli	Singrauli	Khutar	Bihara	Pipara Kurund	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1171	Singrauli	Singrauli	Shashan	Pipara Kurund	Bihara	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Ingen	Skymet
1179	Aagar Malwa	Nalkheda	Nalkheda	Padana	Basya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1180	Aagar Malwa	Susaner	Soyatkalan (Np)	Banda	Soyatkalan (NP)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1181	Aagar Malwa	Susaner	Soyatkalan (Np)	Soyatkalan (NP)	Banda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1182	Aagar Malwa	Susaner	Susner	Maina	Basya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1183	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Bansa Khedi	Jhagar Kachnar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1184	Ashoknagar	Ashoknagar	Kachnar	Jhagar Kachnar	Dongra	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1185	Ashoknagar	Ashoknagar	Rajpur	Dongra	Jhagar Kachnar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1186	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Chanderi	Satpaiya	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1187	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	Satpaiya	Chanderi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1188	Ashoknagar	Chanderi	Thoban	Nawni	Chanderi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1189	Ashoknagar	Ishagarh	Ishagarh	Behata Alias Ganesh Kheda	Khamkhedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित भौमिका के नाम	सन्दर्भित भौमिका के वैकल्पिक भौमिका के नाम	भौमिका का नाम	पूर्व प्रकाशित भौमिका के आवारे प्रदायदाता का नाम	राजीवित भौमिका के आवारे प्रदायदाता का नाम
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider	
1190	Ashoknagar	Ishagarh	Saraskheda	Khamkhedi	Bhimbkheda (OG) (Part)_1	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1191	Ashoknagar	Mungawali	Athaikheda	Tetore	Bhimkheda (OG) (Part)_1	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1192	Ashoknagar	Mungawali	Bahadurpur	Bhimkheda (OG) (Part)_1	Tetore	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1193	Ashoknagar	Mungawali	Mungali	Mundra	Bahadurpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1194	Ashoknagar	Naisarai	Mahidpur	Ajleshwar	Dungarsara (Pitampur)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1195	Ashoknagar	Naisarai	Nisray	Pitampur	Ajleshwar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1196	Ashoknagar	Piprai	Piprai	Bamanua	Manihari Muhal	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1197	Ashoknagar	Piprai	Tari	Manihari Muhal	Bamanua	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1198	Ashoknagar	Shadhora	Shahidora	Bhimkheda (OG) (Part)_2	Bansa Khedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1199	Rajgarh	Byavara	Biaora	Moi	Shahpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1200	Rajgarh	Byavara	Biaora	Shahpura	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1201	Rajgarh	Byavara	Malawar	Dhakora	Semlapar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1202	Rajgarh	Byavara	Malawar	Semlapar	Dhakora	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1203	Rajgarh	Byavara	Suthaiya	Mothbadli	Moi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1204	Rajgarh	Jirapur	Jirapur (Np)	Gordhanpura	Kahar Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1205	Rajgarh	Jirapur	Jirapur (Np)	Kahar Kheda	Gordhanpura	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1206	Rajgarh	Jirapur	Machalpur	Nandri	Kahar Kheda	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1207	Rajgarh	Khilacipur	Bhojpur	Kotda	Khilchipur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1208	Rajgarh	Khilacipur	Chhaphiheda	Shekhanpur	Khilchipur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1209	Rajgarh	Khilacipur	Khilchipur	Khilchipur	Shekhanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1210	Rajgarh	Narsinghgarh	Boda	Mandawar	Sagpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1211	Rajgarh	Narsinghgarh	Kurawar	Sahu Khedi	Mandawar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1212	Rajgarh	Narsinghgarh	Narsinghgarh	Saggur	Mandawar	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1213	Rajgarh	Pachor	Pachore	Kalyanpur	Dhuwa Khedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1214	Rajgarh	Pachor	Talan	Dhuwa Khedi	Kalyanpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1215	Rajgarh	Rajgarh 1	Kalipith	Golyabey	Kherabe (Meriyakhedi)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1216	Rajgarh	Rajgarh 1	Kalipith	Meriyakhedi	Chopanakhurd	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1217	Rajgarh	Rajgarh 1	Khujner	Lakhya	Bamlabe	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1218	Rajgarh	Rajgarh 1	Rajgarh	Bamlabe	Fatehpur	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1219	Rajgarh	Rajgarh 1	Rajgarh	Fatehpur	Bamlabe	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1220	Rajgarh	Sarangpur	Padiya Mata	Padiya Mata	Bhumka	IFFCO TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1221	Rajgarh	Sarangpur	Sandota	Bhumka	Padiya Mataji	IFFCO TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1222	Rajgarh	Sarangpur	Sarangpur	Dhanora	Padiya Mataji	IFFCO TOKIO GIC LTD.	NCMSL	Ingen
1223	Rewa	Tynothonar	Garhi	KAITHI	DIH	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1224	Rewa	Tynothonar	Raipur Sonauri	DIH	KAITHI	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1225	Rewa	Tynothonar	Tynothonar	KAITHI	DIH	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1226	Satna	Amarpatan	Amarpatan	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1227	Satna	Amarpatan	Mauhari Katara	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1228	Satna	Amarpatan	Tala	MAJHIGAWAN	BABUPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1229	Satna	Kotar	Bihara	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1230	Satna	Kotar	Kotar	BARDADIH	BARERA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1231	Satna	Maghaganva	Baraundha	NARDHA	KAILASHPUR	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1232	Satna	Maghaganva	Chitrakut	PALDEV	NARDHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1233	Satna	Maghaganva	Maghaganva	KAILASHPUR	NARDHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1234	Satna	Maihar	Amadara	GUGRI	BHERA (BHENDA)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1235	Satna	Maihar	Badera	LATAGAON	Kusedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1236	Satna	Maihar	Bhadanpur	LATAGAON	Kusedi	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1237	Satna	Maihar	Kusedi	DHABRAL	LATAGAON	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1238	Satna	Maihar	Maihar	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1239	Satna	Maihar	Nadan	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1240	Satna	Maihar	Tilaura	BHERA	DHABRAL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1241	Satna	Nagaud	Damha	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1242	Satna	Nagaud	Jasha	NAGOD	AMA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1243	Satna	Nagaud	Nagaud	NAGOD	AMA	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1244	Satna	Nagaud	Rahijawre	NAGOD	AMA	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1245	Satna	Nagaud	Shivrajpur	AMA	NAGOD	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1246	Satna	Nagaud	Singhpur	AMA	NAGOD	IFFCO TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL

क्रमांक	जिला	तहसील	राजस्व क्षेत्र	सन्दर्भित गौसम केन्द्र का नाम	सन्दर्भित गौसम केन्द्र का ईकाइयक गौसम केन्द्र	बीमा कंपनी का नाम	पूर्व प्रकाशित गौसम के आंकड़े प्रदावदाता कंपनी	संशोधित गौसम के आंकड़े प्रदावदाता कंपनी
S. No.	District	Tehsil	Revenue Circle	Name of AWS Location	Name of Back-up AWS	Name of Insurance Company	Name of Data Provider	
1276	Satna	Raghurajnagar	Hati	BAIRGALA	BHARJUNA KHURD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1277	Satna	Raghurajnagar	Kothi	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1290	Satna	Uchehara	Lagaragaon	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1291	Satna	Uchehara	Parasamniya	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1292	Satna	Uchehara	Uchehara	DEVGANA	PITHAURABAD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1293	Satna	Virsinghpur	Dharakundi	BARERA	BHARJUNA KHURD	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1294	Satna	Virsinghpur	Jaitvara	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1295	Satna	Virsinghpur	Virsinghpur	BHARJUNA KHURD	BAIRGALA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1296	Sidhi	Bahari	Devganv	BHITARI	POKHARI DOL	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSL
1297	Sidhi	Churahat	Chunhat	TIKAT KALAN	PARARA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1298	Sidhi	Gopad Banas	Semariyāl	KATARIKANRI	PARARA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1299	Sidhi	Gopad Banas	Sidhigird1	BISUNITOLA	KATARIKANRI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1300	Sidhi	Gopad Banas	Sidhigird2	PARARA	KATARIKANRI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1301	Sidhi	Kushami	Kusumi	BELDIHA	PONRI (PONDI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1302	Sidhi	Kushami	Paudi	PONRI	BELDIHA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1303	Sidhi	Majhauri	Madwas	HARWAR	BAGHAILA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1304	Sidhi	Majhauri	Majholi	BAGHAILA	HARWAR (Majhauri)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1305	Sidhi	Rampur Naik	Hanumangarh	MARWA	BELKASARI	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1306	Sidhi	Rampur Naik	Rampur Naikin	BELKASARI	MARWA	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI
1307	Sidhi	Sihaval	Amiliya 2	POKHARI DOL	BHITARI (KUBEARI)	IFFCO-TOKIO GIC LTD.	Skymet	NCMSI

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. एफ-3-5-2015-अठारह-5.—राज्य शासन, एटद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 3-5-2015-अठारह-5, दिनांक 27 अगस्त 2016 द्वारा पुनर्गठित महू निवेश क्षेत्र की सीमाओं में संशोधन संबंधी जारी आदेश में संशोधन करते हुए उत्तर में एवं पश्चिम में सम्मिलित ग्राम गोंदगांव (धार) को विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव,

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2017

फा. क्र. 02-2014-चार-175.—माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल याचिका संख्या 3797/2015 (राजेन्द्र कुमार मेश्राम विरुद्ध वंशमणि प्रसाद वर्मा एवं अन्य) के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शुद्धि-पत्र क्र. 82-म.प्र.-वि.स.- (02/2014)-2015, दिनांक 11 जुलाई 2017 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

एस. एस. बंसल, सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई, 2017—20 आषाढ़, 1939 (शक)

शुद्धि-पत्र

सं. 82-म.प्र.-वि.स.-(02/2014)-2015.—आयोग की दिनांक 30 नवम्बर 2016 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2015 की सिविल अपील संख्या 3797 (राजेन्द्र कुमार मेश्रम बनाम वंशमणि प्रसाद वर्मा एवं अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 अक्टूबर 2016 के निर्णय/आदेश के सन्दर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय की सम्पादकीय शाखा द्वारा प्रेषित दिनांक 17 अप्रैल 2017 के शुद्धि-पत्र को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,

हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 11th July, 2017—20 Ashadha, 1939 (SAKA)

CORRIGENDUM

No. 82-MP-LA-(02/2014) 2015.—In continuation of Commission's Notification dated 30th November 2016 of even number, the Election Commission of India hereby publishes the corrigendum dated 17th April 2017, sent by Editorial Branch, Supreme Court of India in respect of judgment/order dated 3rd October 2016 of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil appeal No. 3797 of 2015 (Rajendra Kumar Meshram Vs. Vanshmani Prasad Verma and Anr.).

REPORTABLE-441/2016

SECTION-XVII

SUPREME COURT OF INDIA

No. F. 3/Ed. B.J./82/2016
New Delhi,
Dated 17th April 2017

CORRIGENDUM

IN

CIVIL APPEAL NO. 3797 OF 2015
(Judgment dated October 03, 2016)

RAJENDER KUMAR MESHRAM

Versus

VANSHMANI PRASAD VERMA AND ANR.

...Appeellant

...Respondents

Page No. (1)	Para No. (2)	Line No. (3)	For (4)	Read (5)
08	09	01	election petition	election

Sd./-
(ANKIT GYAN)
Assistant Editor
Editorial Branch.

By order,
Sd./-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

एफ-12-2-2014-सात-शा-2 ए.—राज्य सरकार, एतद्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 शासन के विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” समसंख्यक नीति/निर्देश दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 14 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका 14 प्रतिस्थापित की जाती है:—

कंडिका “14-क्रय की गयी भूमियों के विक्रय विलेख के विषय में भारतीय स्टाप्प अधिनियम, 1899 एवं रस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधान लागू होंगे”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 765-भू-अर्जन-री-1-2016-17

झाबुआ, दिनांक 27 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

1— भूमि का वर्णन क— जिला झाबुआ
ग— ग्राम बोरियापाड़ा

ख— तहसील पेटलावद
घ— लगभग क्षैत्रफल 1.58 हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	रिमांक
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकरु पिता हेमा जाति मोरी पता नि.ग्राम महुडीपाड़ा भूमि स्वामी	145	0.350	0.110		0.110	
2	शान्तु हादू भुगा पिता रावजी व फुन्दी बैवा रावजी मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.370	0.060		0.060	
3	कालु पिता लुन्जा जाति कटारा पता नि.ग्राम महुडीपाड़ा भूमि स्वामी	147	0.100	0.040		0.040	
4	नाथा पिता रूपा कटारा जाति भील पता नि.ग्राम महुडीपाड़ा भूमि स्वामी	151	0.390	0.040		0.040	
5	तेरु,पिता हेमा व काली वेवा हमा मोरी पता नि.महुडीपाड़ा भूमि स्वामी	153	0.320	0.070		0.070	
6	नन्दड़ी पिता पुनिया भूरिया जाति भील पता निवासी ग्राम माणडन भूमि स्वामी	409	0.400		0.010	0.010	
		410	0.550	0.150		0.150	
		432	0.390		0.010	0.010	

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. मे.)		अर्जनीश्च भूमि का कुल रकबा (हे.मे)	रिमांक
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	कालू पिता रालूजी हुरजी बेवा रालू जाति हटीला पता नि.कोटडा भूमि स्वामी	416	0.400		0.070	0.070	
		417	0.160		0.020	0.020	
		452	0.120		0.020	0.020	
8	गोर्धन पिता घुलिया जाति सिंगाड पता नि.ग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	420	0.630		0.090	0.090	
9	सुन्दरबाई बैवा अम्बाराम गरवाल जाति भील पता नि.कोटडा भूमि स्वामी	421	1.090	0.160		0.160	
10	मोहन पिता पेमा धापू बेवा पेमा व मोती नंदु पिता सोमा गरवाल जाति भील पता नि.कोटडा भूमि स्वामी	424	0.410	0.100		0.100	
11	हटुडी पिता बाबरिया हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	453	0.710	0.110		0.110	
12	मुखराम मडिया अम्बुडा पिता रणछोड व बदुडी बेवा रणछोड हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	456/1	0.410	0.080		0.080	
13	नाथिया पिता बाबरिया हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	460	0.310		0.040	0.040	
14	सुकला बदुडा पिता पुजा व गोविद पिता मडिया व कमली बैवा मडिया कटारा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	161	2.060	0.070		0.070	
15	मंगलिया पिता कालिया गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	425/1	0.300	0.080		0.080	
16	नाथु पिता वागजी गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	423/2	0.340	0.070		0.070	
17	चंदिया पिता बाबू हटीला जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	456/2	0.350	0.040		0.040	
18	अम्बाराम भेरु पिता रादु नाथी बाई पति रादु हटीला जाति भील पता निवासी कोटडा भूमि स्वामी	456/3	0.160	0.040		0.040	
19	सोहन पिता चन्दिया मुणिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	144/1	0.190	0.010		0.010	

अ.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. मे.)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)	रिमार्क
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	गोबा पिता रुपा पिता रुपा जाति कटारा भील पता निग्राम महुडीपाडा भूमि स्वामी	152	0.250	0.020		0.020	
21	मानजी पिता वागजी गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	423/1	0.340	0.020		0.020	
22	विका पति नरसिंह गामड जाति भील पता निवासी मांडन भूमि स्वामी उंकार पिता हेमराज गरवाल जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426/6	0.180	0.010		0.010	
23	दुर्गा,लीला,पिता भिलजी नारोबा० पा०क०माता० सुगना० व सुगना० बेवा० भिलजी गरवाल जाति भील पता निवासी ग्राम कोटडा भूमि स्वामी	425/2	0.150	0.010		0.010	
24	कोदा पिता बाबरिया हटिला जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व	456/4	0.160	0.030		0.030	
योग :-		28	11.590	1.320	0.260	1.580	

2— सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :— माही परियोजना कीं माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3— नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

4— भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 767-भू-अर्जन-री-1-2016-17

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

1— भूमि का वर्णन क—जिला झाबुआ

ग—ग्राम गंगाखेड़ी

ख—तहसील पेटलावद

घ—लगभग क्षेत्रफल 0.02 हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. मे.)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.मे)	रिमांक
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री परमानन्द पिता दयाराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	446	0.800	0.020		0.020	
योग :-		1	0.800	0.020	-	0.020	

2— सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :- माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3— नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

4— भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 769-भू-अर्जन-री-1-2016-17

चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

1— भूमि का वर्णन क—जिला झाबुआ

ख—तहसील पेटलावद

ग—ग्राम गोदडिया

घ—लगभग क्षेत्रफल 0.12हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे. में)	रिमार्क
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फूलजी पिता नन्दिया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	962/1	0.080	0.030		0.030	
2	वरसिह, हुकमीचन्द, सम्दुडी पिता गोतम, गेन्दुडी बैवा गौतम गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	962/2	0.080	0.070		0.070	
3	वाला पिता नंदीया गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	962/3	0.080	0.020		0.020	
योग :-		3	0.240	0.120	-	0.120	

2— सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :— माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3— नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

4— भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं—1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 771-भू-अर्जन-री-1-2016-17

चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

1— भूमि का वर्णन क—जिला झाबुआ
ग—ग्राम मोईचारणी

ख—तहसील पेटलावद
घ—लगभग क्षेत्रफल 0.03हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. मे.)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे. मे.)	रिमांक
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वालचंद पिता राठु गामड जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व मोईचारणी	260/1	0.080	0.030		0.030	
	योग :—	1	0.080	0.030	-	0.030	

2— सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :— माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3— नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

4— भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 773-भू-अर्जन-री-1-2016-17

चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

1— भूमि का वर्णन क—जिला झाबुआ
ग—ग्राम सुल्तानपुरा

ख—तहसील पेटलावद
घ—लगभग क्षेत्रफल 0.02हे.

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में)	रिमांक
				सिंचित	असिंचित		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री विरजी पिता नानजी सोलंकी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/1	0.120	0.020		0.020	
	योग :-	1	0.120	0.020	-	0.020	

2— सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की :— माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

3— नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है। अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

4— भूमि का नक्शा (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं—1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (व्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
राजस्व विभाग**

क्र. 15487

राजगढ़, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की समावना है।

प्रकरण क्रमांक ४) /अ-८२/२०१६-२०१७ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रामपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :-

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
(1)	(2)	(3)
1.	रामपुरिया	1.930
	कुलयोग :-	1.930

-: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :- ग्राम रामपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद आ. देवचन्द खुशीलाल पिता किशनलाल	48/10	3.124	0.321
2	रामप्रसाद आ. देवचन्द खुशीलाल पिता किशनलाल	48/11	0.506	0.026
3	रामप्रसाद देवचन्द वगैरहा	48/12	0.481	0.180
4	गिरधारी पिता सौलाल जाति तंवर	48/4/1	2.024	0.513
5	मनिराम पिता सौलाल जाति तंवर	48/4/2	0.505	0.165
6	धापुबाई पति अमरसिंह जाति तंवर	48/7/2	1.139	0.363
7	शैतानबाई पति नगाजी जाति तंवर	62/4	0.698	0.357
8	शैतानबाई पति नगाजी जाति तंवर	48/14	3.920	0.005
	कुल रकबा		12.397	1.930

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15491

कमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके सलंगन सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक ४५ /अ-८२/२०१६-२०१७ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्याखुर्द, के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :-

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्कमा हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)
1	पीपल्याखुर्द	8.431
	कुलयोग :-	8.431

-: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :- ग्राम पीपल्याखुर्द

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्कमा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	राम बाबुपु0 प्रेमसिंह जाति लोडा	254/3/1	2.024	0.247
2	गणपतसिंह दुर्गाप्रसाद, फूलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति लोडा	254/3/2	1.770	0.612
3	नोरगं बाई पत्नि पांचूलाल जाति लोडा	255/4	2.000	0.047
4	हरचन्द पिता कालू जाति तंवर	255/1	1.519	0.596
5	नोरगं बाई पत्नि पांचूलाल जाति लोडा	255/2	1.494	0.170
6	रामचन्द्र, करणसिंह पिता गोपिलाल, रूपा बाई बेवा गोपीलाल जाति लोडा	254/2	8.941	0.097
8	शिवनारायण, चोथमल, ग्यारसीराम, रामप्रसाद धीसा भूली जाति नाई	247/3	1.708	1.500
9	हिरालाल पिता राम लाल, अयोध्या बाई पति हिरालाल जाति चमार	247/5/2	0.592	0.565
10	प्यारजी पिता राम लाल राधाबाई पति प्यारजी	247/5/1	0.420	0.282
11	किशनलाल मांगीलाल तुलसीराम प्यारी हीरालाल पारी बाई पिता रामा मु. दरियाव बाई बेवा रामा जाति चमार	245/2	1.126	0.861

12	कालू दोला प्यारा आ.रामा हिस्सा 50 प. भोना आ. मोती हिस्सा 50 पै.जाति लोडा	246	1.075	0.406
13	मांगीलाल पिता कालू भोनी बाई बेवा कालू खेमचन्द कसू बाई उमरा पिता धोलापुरी पांची बाई भंवरी बाई पिता दोला पानी बाई बेवा दोला गंगाराम पांचा कन्हैया पुरा पिता प्यारा पाराबाई बेवा प्यारा	133	0.721	0.721
14	बंशीलाल पिता धन्नालाल	134/1	0.091	0.045
15	रामप्रसाद जाति लोडा	134/2	0.091	0.035
16	पांचुलाल पिता धनालाल	134/3	0.091	0.035
17	रामकिशन पिता धना	134/4	0.090	0.044
18	मांगीलाल पिता धन्ना	134/5	0.091	0.040
19	मदन पिता धन्ना	134/6	0.090	0.032
20	रामचन्द्र,करणसिंह पिता गोपिलाल,रूपा बाई बेवा गोपिलाल चम्पी	132	0.658	0.134
21	जगन्नाथ उंकार भंवर लाल हरि बंशी पिता रत्ता भूलीबाई बेवा	131	0.670	0.086
22	काशीराम आ. श्रीलाल	130/3	0.253	0.204
23	मांगीलाल पिता हीरालाल	130/2	0.253	0.212
24	भेरुलाल आ. हीरालाल	130/1	0.253	0.153
25	भेरुलाल आ. हीरालाल	129/1	0.312	0.165
26	रामकीशन पिता मांगीलाल	128	0.152	0.152
27	रामकिशन पिता मांगीलाल जाति लोडा	127	0.354	0.354
28	विजयसिंह पिता हरचन्द जाति लोडा	126	0.417	0.395
29	मांगीलाल आ. कालू खेमजी आ. दोला गंगाराम प्यारा जाति लोडा	125	0.190	0.027
30	मोती पिता नवल कालू कन्हैयालाल पिता मोतीलाल प्रेमबाई बेवा मांगीलाल	124	0.582	0.162
31	श्रीमति गंगा बाई पति हरिसिंह जाति लोडा	123	0.531	0.055
	कुल रकबा		28.559	8.431

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15492

कमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 79/अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लालगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिंसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :-

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)
1	लालगढ़	5.275
	कुलयोग :-	5.275

-: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :-ग्राम लालगढ़

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी	1 / 2 .1	0.355	0.129
2	कान्ताबाई बेवा राधेश्याम, उमाशंकर पिता राधेश्याम जाती दांगी	1 / 2 .2	0.657	0.269
3	बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी	2	0.734	0.263
4	बिहारीलाल पिता रंगलाल जाति दांगी	3 / 1	0.600	0.197

5	कान्ताबाई बेवा राधेश्याम, उमाशंकर पिता राधेश्याम जाति दांगी	3 / 2	1.032	0.320
6	रामचरण पिता जगन्नाथ जाति दांगी	4 / 1/ 2	2.000	0.257
7	उमाशंकर पिता राधेश्याम जाति दांगी	4 / 2 / 2	0.728	0.465
8	केशर बाई बेवा रामरतन हि 1/2, आनन्दकीशोर पिता रामचरण, बृजमोहन पिता दौलतराम, हरिशंकर, प्रेमनारायण बैगैरहा	5	0.342	0.013
9	धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी	14	0.949	0.208
10	धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी	16	0.810	0.044
11*	विष्णुगिरधारीलाल, प्रेम बाई पिता बद्रिलाल, केशर बाई बेवा बद्रिलाल, हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	17	0.430	0.375
12	डालू पिता किशना जाति बंजारा	,18/1/2	0.256	0.184
13	विष्णुगिरधारीलाल, प्रेम बाई पिता बद्रिलाल, केशर बाई बेवा बद्रिलाल, हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी	21 / 1	2.023	0.535
14	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	22/2	0.139	0.061
15	कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी	23/1	0.184	0.059
16	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	23/2	0.183	0.135
17	कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी	31/1/1	0.544	0.223
18	कन्हैयालाल पिता भीमा बैगैरहा	24/2/1	2.529	0.399
19	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	24/2/2	2.530	0.437
20	धापू बाई पिता रामचरण जाति दांगी	24/1/3	0.937	0.004
21	कन्हैयालाल पिता भीमा जाति दांगी	25 / 1	1.050	0.073
22	बैजनाथ, शिवनारायण पिता धीसालाल जाति दांगी	25 / 2	0.651	0.402
23	भंवरीबाई बेवा रंगलाल जाति दांगी	28/2	1.063	0.223
	कुल रक्का		20.726	5.275

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15547

राजगढ़, दिनांक 18 जुलाई 2017

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माण्डाखेड़ा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ माण्डाखेड़ा जलाशय निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम—माण्डाखेड़ा		तहसील—खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
1	निजी भूमि माण्डाखेड़ा जलाशय के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		
	1. ग्राम—माण्डाखेड़ा	7.773	
	2. ग्राम—बोरदा नजदीक	5.528	
	योग	13.301	

अनुसूची (2)

(1)ग्राम—माण्डाखेड़ा की भूमि माण्डाखेड़ा जलाशय में प्रभावित होने से

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
			3	4
1	शिव बीरम पिता किशोर मु. धीसीबाई बैवा किशोर जाति सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	64	0.101	0.101
		66	0.632	0.060
2	बापूलाल पिता रामलाल जाति सौंधिया नि. ग्र. भू स्वामी	2	0.733	0.161
		65	0.077	0.077
	योग	1	0.077	0.077

1	2	3	4	5
3	देवीलाल पिता नाथू जाति सौंधिया नि. ग्रा. भूमि स्वामी	94/2/1 78/1 71/1/1	0.140 0.063 0.060	0.140 0.063 0.060
	योग	3	0.263	0.263
4	पर्वतसिंह पिता नाथू पानीबाई पिता नाथू जाति सौंधिया भूमि स्वामी	94/2/2 78/2/1 71/1/2	0.046 0.021 0.020	0.046 0.021 0.020
	योग	3	0.087	0.087
5	बजेसिंह पिता नाथू जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	94/2/3 78/2/2 71/1/3 71/1/4	0.047 0.021 0.020 0.020	0.047 0.021 0.020 0.020
	योग	4	0.108	0.108
6	रतन पिता रुधनाथ जाति सौंधिया नि. ग्रा. भूमि स्वामी	94/1 73/2 71/2	0.279 0.152 0.119	0.025 0.060 0.119
	योग	3	0.550	0.204
7	बनेसिंह पिता नाथू जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	94/2/4 78/2/3	0.047 0.020	0.020 0.020
	योग	2	0.067	0.040
8	मुबदनबाई बेवा मोती जाति सौंधिया नि. ग्रा. भूमि स्वामी	75 1	0.661	0.509 0.509
	योग			
9	रोडीबाई बेवा मांगीलाल कालू शिव रामदयाल बालू आ. जगन्नाथ सम्पतबाई बेवा जगन्नाथ बल्लभ हरिसिंह पिता धीसा जाति नाथ नि.ग्रा.भू.स्वामी	80	0.101	0.094
	योग	1	0.101	0.094
10	पूरा पिता मेहताब शिव बीरम पिता किशोर धूलजी रोडजी आ. फतेसिंह जानाबाई रजानबाई आ.फतेसिंह गंगाबाई बेवा फतेसिंह जाति सौंधया नि.ग्रा.भू. स्वामी	74	0.166	0.166
	योग	1	0.166	0.166

1	2	3	4	5
11	लालजी दरियावसिंह पिता रूपा मु. गंगाबाई बेवा रूपा हि. 1/2, भवरिया पिता केशर तरवरसिंह बक्षू आ.नारान कैलाश बाई घिंकीबाई पुत्रियां नारान देवबाई बेवा नारान हि. 1/2, जाति सौंधिया नि.ग्रा. भूमि स्वामी	92	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
12	लाल जी, दरियावसिंह पिता रूपा, भवरिया आ. केशर, तरलवर, रामबाबू पिता नारायण कैलाशबाई, प्रेमबाई, कालीबाई, पुत्रिया नारायण देवबाई बेवा नारायण हि. 1/2 धूलजी, रोडजी, आ. फतेहसिंह, जानाबाई, सुजानबाई पुत्रियां फतेहसिंह हि. 1/2 जाती सौंधियां नि.ग्रा.म भू-स्वामी	83	0.077	0.070
	योग	1	0.077	0.070
13	तरलवर रामबाबू पिता नारायण कैलाशबाई प्रेमबाई कालीबाई पुत्रियां देवबाई बेवा नारायण जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू स्वामी	86/1	0.060	0.060
	योग	84/1	0.167	0.167
	योग	2	0.227	0.227
14	लालजी पिता रूपा जाति सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	85	0.077	0.077
	योग	84/4	0.167	0.167
	योग	2	0.244	0.244
15	भवरिया पिता केशर जाति सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	86/2	0.060	0.060
	योग	84/2	0.167	0.167
	योग	2	0.227	0.227
16	दरियावसिंह पिता रूपा जाति सौंधिया नि.ग्रा.भू स्वामी	86/3	0.119	0.119
	योग	84/3	0.167	0.167
	योग	2	0.286	0.286
17	बजरंगलाल पिता हरिसिंह बालूसिंह पिता माधू मु. कांताबाई बेवा माधू जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91	0.065	0.030
	योग	88	0.470	0.460
	योग	89	0.036	0.036
	योग	90	0.113	0.078
	योग	4	0.684	0.604
18	धापूबाई पानीबाई बेवा अमरा जाति अ.ज. नि.ग्रा.भू स्वामी	87/3/2/1	0.658	0.658
	योग	1	0.658	0.658
19	रोड़ा पिता धीसा दरयावबाई पति रोड़ा जाति अ.ज. नि.ग्रा.भू स्वामी	87/3/2/2	0.658	0.593
	योग	1	0.658	0.593

1	2	3	4	5
20	मांगीलाल पिता दुधा जाति अ.ज. नि ग्रा. भू स्वामी	87/3/2/3	0.658	0.658
	योग	1	0.658	0.658
21	राधेश्याम सुरेश आ.नाथू भंकरीबाई पुत्री नाथू कमलाबाई बेवा नाथू चम्पा रतन आ. मांगीलाल बालीबाई पिता मांगीलाल जाति अ.ज. नि. ग्रा. भू स्वामी (आहस्तांतरणीय)	87/3/2/4	0.658	0.658
	योग	1	0.658	0.658
22	चम्पा पिता मांगीलाल अ.ज. नि ग्रा आदि	87/3/2/5	0.658	0.329
	योग	1	0.658	0.329
23	कमलाबाई पति नाथू जाति अ.ज. नि.ग्रा.भू स्वामी	87/3/2/6	0.658	0.329
	योग	1	0.658	0.329
24	रतन पिता मांगीलाल संतराबाई पति रतन जाति अ.ज. नि.ग्रा. भू स्वामी	87/3/2/7	0.658	0.100
	योग	1	0.658	0.100
25	प्रेमलता पति श्यामसुन्दर जाति ब्यहम्ण नि. खिलचीपुर भू स्वामी	87/9 87/2 87/1	0.255 0.405 0.356	0.255 0.405 0.356
	योग	3	1.016	1.016

(1)ग्राम:-बोरदा नजदीक

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा
1	2	3	4	5
26	कंवरलाल पिता जगन्नाथ गोपी रूप जी पिता छीतर हि.1/4 गुलाब पिता लालजी हि.1/4 मांगीलाल मोतीलाल पिता लक्ष्मण जगदीश पिता देवसिंह हि.1/4 जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	42	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065

1	2	3	4	5
27	शिवनारायण पिता गेंदा जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	100	0.077	0.025
	योग	1	0.077	0.025
28	सुरेश पिता दोल जी जाति सौंधिया नि. ग्रा भू-स्वामी	101	0.049	0.049
	योग	1	0.049	0.049
29	हीरालाल पिता दोल जी जाति सौंधिया नि. डालुपुरा ग्रा.भू स्वामी	102	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
30	रतन दोल जी पिता पूरा बा हि बराबर जाति सौंधिया नि. ग्रा. भूमि स्वामी	103	0.065	0.025
	योग	1	0.065	0.025
31	दोलजी पिता पूरजी जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू स्वामी	104/2	0.115	0.115
	योग	1	0.115	0.115
32	हिन्दुसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. डालुपुरा भू स्वामी	104/3	0.115	0.115
		111/1	0.107	0.107
		117	0.202	0.040
	योग	3	0.424	0.262
33	बदामबाई पति हिन्दुसिंह जाति सौंधिया नि ग्रा भू स्वामी	105/1	0.057	0.047
		105/2	0.056	0.046
		107/1	0.083	0.083
		107/2	0.083	0.083
		109/2	0.056	0.056
		109/1	0.057	0.057
	योग	6	0.392	0.372
34	हिन्दुसिंह रामसिंह पिता धूल जी जाति भू-स्वामी	110	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
35	रामसिंह पिता धूलजी जाति सौं. नि.ग्राम भू स्वामी	111/2	0.108	0.108
	योग	1	0.108	0.108

१	२	३	४	५
36	हिन्दुसिंह रामसिंह पिता धूल जी हि. 50 ऐसे जगन्नाथ किशन, श्रीलाल , हिरालाल भोनीसिंह पिता धूलजी, दरयावसिंह भू स्वामी सुल्तानसिंह, लक्ष्मीनारायण, मोरसिंह पिता मांगीलाल, मंजूबाई, पुत्री मांगीलाल 13 पै. भैरवसिंह, गगाराम पिता लालजी हि. 13 पै. मांगीलाल, पुरसिंह, बद्रीलाल, बंशीलाल पिता गोपी, बालूसिंह पिता नरान सौ. नि. डालुपुरा भू स्वामी	106	0.036	0.036
	योग	1	0.036	0.036
37	दरियावसिंह पिता मांगीलाल सौंधिया नि ग्रा भू स्वामी	112/1	0.078	0.078
	योग	1	0.078	0.078
38	लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि ग्रा भू स्वामी	112/2	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
39	मोड़सिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि ग्रा भू स्वामी	112/3	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
40	सुल्तानसिंह पिता मांगीलाल सौंधिया नि ग्रा भू स्वामी	112/4	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
41	हिन्दुसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि ग्रा डालुपुरा भूमि स्वामी	113/1	0.034	0.034
	योग	1	0.034	0.034
42	विजयसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि ग्रा भू स्वामी	113/3	0.035	0.035
		129	0.049	0.049
	योग	2	0.084	0.084
43	मनोहरसिंह पिता भैरवसिंह रामबाई बैवा भैरवसिंह जाति सौंधिया आदि नि ग्र भू	113/4	0.035	0.035
	योग	1	0.035	0.035
44	अनारसिंह पिता शिवनारायण जाति सौंधिया नि ग्रा. भू-स्वामी	114	0.024	0.024
		131/1	0.235	0.235
		126/1	0.221	0.216
	योग	3	0.480	0.475
45	देवा पिता किशना अ.जा. नि ग्रा भूमि स्वामी	115	0.202	0.202
		127	0.036	0.036
	योग	2	0.238	0.238

1	2	3	4	5
46	किशना पिता रत्ता जाति अ.जा. नि.ग्रा. भू स्वामी	116/2	0.214	0.214
	योग	108	0.089	0.089
47	रायसिंह पिता देवसिंह सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	121	0.859	0.200
	योग	1	0.859	0.200
48	गगाबाई विधवा देवा द्रोपतबाई पुत्री देवा बीरसिंह ना.वा.पुत्र देवा सरपस्तमाता गंगाबाई नारान पिता भू स्वामी धीसा, मांगीलाल, हिरालाल पिता भेरु जाति अ.जा. नि.ग्रा. भू स्वामी	124 132/18 132/19 132/23	0.304 0.304 0.631 0.262	0.215 0.304 0.631 0.262
	योग	4	1.501	1.412
49	नाथू पिता रत्ता अ.जा. नि.ग्रा. भू स्वामी	125/2 132/21	0.153 0.089	0.115 0.089
	योग	2	0.242	0.204
50	गोरिया बाबूल पिता लक्ष्मण अ.जा. नि.ग्रा. भू स्वामी	125/3	0.154	0.154
	योग	1	0.154	0.154
51	बनेसिंह पिता शिवनारायण सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	126/2	0.221	0.216
	योग	1	0.221	0.216
52	गंगाराम पिता लाल जी सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	130	0.036	0.036
	योग	1	0.036	0.036
53	भेरुसिंह गंगाराम पिता लाल जी आदि नि.ग्रा. भू स्वामी	131/2	0.235	0.235
	योग	1	0.235	0.235
54	लक्ष्मीनारायण पिता देवीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रा. भू स्वामी	132/20	0.482	0.482
	योग	1	0.482	0.482
	महायोग	92	16.843	13.301

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय किया जा सकता है।

क्र. 15605

राजगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चौंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम खापिड्यापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :-

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
(1)	(2)	(3)
1	खापिड्यापुरा	27.401
	कुलयोग :-	27.401

-: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :-ग्राम खापिड्यापुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	चैना पिता देवा जाती चमार	17	0.557	0.557
2	जगदीश पिता गोपीलाल जाती दांगी	19/1	0.753	0.447
3	जगदीश पिता गोपीलाल जाती दांगी	18/1	0.208	0.163
4	गोरखन पिता गोपीलाल जाती दांगी	18/2	0.209	0.011
5	गोरखन पिता गोपीलाल जाती दांगी	19/2	0.752	0.723
6	आनन्द किशोर पिता रामचरण जाती दांगी	19/3	1.897	0.877
7	हरिशंकर पिता प्रेमनारायण जाती दांगी	19/4	1.897	0.522
8	चैना पिता देवा जाती चमार	44/9/1	1.265	0.321
9	चैना पिता देवा जाती चमार	44/9/2	1.770	1.326
10	रामसिंह पिता देवजी जाति सोधीया	44/8	4.679	1.438
11	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति सोधीया	44/11/1	1.517	0.144
12	धापू बाई बेवा जगन्नाथ जाती सोधीया	44/10/3	1.399	1.391
13	रोडजी पिता जगन्नाथ जाती सोधीया	44/10/2	0.263	0.263
14	श्रीलाल पिता जगन्नाथ जाती सोधीया	44/10/1	1.363	0.656

15	परबतसिंह पिता रामसिंह जाती सोधीया	44/4	2.086	0.929
16	बालूसिंह पिता हीरालाल	44/5/1	0.809	0.631
17	नारायणसिंह पिता रायसिंह	44/5/2	0.917	0.321
18	बनैसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	44/2/1	0.463	0.463
19	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह सुनील ना.बा. पिता हिम्मतसिंह	44/2/2	0.4640	0.464
20	भारतसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	44/2/3	0.464	0.295
21	मुरली पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	44/6/1	0.416	0.173
22	जगदीश, महेन्द्रसिंह, बलवन्तसिंह पिता दरियावसिंह, नवल बाई विधवा दरियावसिंह	44/12	4.692	1.993
23	बनैसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	40/4/1	1.796	0.552
24	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह, सुनील पिता हिम्मतसिंह	40/4/2	1.795	0.088
25	रामनिवास पिता परबतसिंह जाति सौधिया	36/1/1	0.164	0.124
26	श्याम पिता परबतसिंह जाति सौधिया	36/1/2	0.165	0.165
27	सरजनसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	36/2	0.329	0.329
28	कमलसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	36/3	0.329	0.329
29	दिनेश पिता बजेसिंह जाति सौधिया	36/4	0.329	0.239
30	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरी बाई विधवा प्रेमसिंह जाति सौधिया	34/2	0.885	0.885
31	रोडजी पिता जगन्नाथ जाती सोधीया	34/1	0.342	0.202
32	दिनेश पिता बजेसिंह जाति सौधिया	35/4	0.499	0.450
33	कमलसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	35/3	0.499	0.251
34	सरजनसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	35/2	0.500	0.219
35	रामनिवास पिता परबतसिंह जाति सौधिया	35/1/1	0.250	0.168
36	श्याम पिता परबतसिंह जाति सौधिया	35/1/2	0.250	0.170
37	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरी बाई विधवा प्रेमसिंह जाति सौधिया	37	1.354	0.745
38	द्रोपती बाई पिता कालू जाती सौधिया	39	0.228	0.012
39	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरी बाई विधवा प्रेमसिंह जाति सौधिया	97/1	0.300	0.075
40	रोडजी पिता जगन्नाथ जाती सोधीया	97/2	0.269	0.269
41	सत्यनारायण पिता धीसालाल	98/2	2.000	1.346
42	लाडबाई पिता गोरीलाल, कंचन बाई बेवा गोरीलाल जाति सौधिया	98/1	0.640	0.029
43	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	110	0.253	0.116

44	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	111	0.316	0.316
45	लाडकुवंर पत्नि धीसालाल जाति सौधिया	113	0.937	0.718
46	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	114	0.013	0.013
47	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	112	0.038	0.038
48	कमलसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	117	0.190	0.069
49	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	116	0.138	0.138
50	गजराज पिता शिवसिंह जाति सौधिया	122/1/1	0.168	0.101
51	किशनलाल शिवसिंह जाति सौधिया	122/1/2	0.169	0.147
52	कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया	122/1/3	0.169	0.149
53	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	124	0.455	0.455
54	लाडबाई पिता गोरीलाल, कंचन बाई बेवा गोरीलाल जाति सौधिया	133	0.797	0.290
55	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	126	1.543	0.069
56	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	125	0.531	0.531
57	लाडबाई पिता गोरीलाल, कंचन बाई बेवा गोरीलाल जाति सौधिया	123/1	0.921	0.921
58	कंकूबाई, धापूबाई पिता नारुजी जाति सौधिया	123/2	0.253	0.173
59	बनैसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	252/1/3	0.299	0.011
60	गीता बाई बेवा गंगाराम, मांगी बाई, रिकू बाई, एलकार पिता	252/1/6	0.693	0.161
61	परबतसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार	252/1/8	1.265	0.430
62	पन्नालाल पिता परशी जाति चमार	252/1/7	0.455	0.312
63	बिरम पिता हीरालाल जाति चमार	252/1/1/2	0.690	0.622
64	रोडजी पिता हीरालाल जाति चमार	252/1/1/1	0.690	0.047
65	जगदीश गोरखन पिता गोपीलाल जाती दांगी	1 / 1 / 1	0.759	0.002
66	बनैसिंह पिता भंवरलाल	1 / 1 / 2	3.035	0.004
67	नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया	33/1/2	0.429	0.015
68	श्रीलाल पिता जगन्नाथ जाती सोधीया	28/2 .1	0.601	0.463
69	मुरली पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	28/2 .2	0.601	0.278
70	मोहनलाल पिता वागजी	28 / 5 .1	2.000	0.057
	कुल रकम		60.171	27.401

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15648

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके सलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम राजलीबे के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :-

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्का
(1)	(2)	(3)
1	राजलीबे	9.248
	कुलयोग :-	9.248

—: अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :-ग्राम राजलीबे

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्का	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	रोड्जी पिता देवीराम	9/2/1	0.317	0.132
2	धन्नालाल पिता देवीराम जाति लोडा	9/2/2	0.316	0.087
3	बंशीलाल पिता देवीराम जाति लोडा	9/2/3	0.316	0.082
4	बापूलाल पिता बाबरू	9/3/1	0.203	0.046
5	हजारी लाल पिता बाबरू	9/5/1	0.405	0.050
6	गोरधन, लक्ष्मण, जगन्नाथ पॉचुबाई पिता बिरम भूली बाई पति बीरम	9/5/2	0.809	0.088
7	गोपीलाल पिता प्यारजी जाति लोडा	9/5/3	0.202	0.103
8	रमेश, कैलाश, संतराबाई पिता गिरधारी, कस्तूरी बाई पति गिरधारी जाति लोडा	9/5/4	0.202	0.077
9	गोरेलाल पिता तुलसी राम जाति लोडा	9/5/5	0.203	0.064
10	बाबू लाल पिता तुलसी राम जाति लोडा	9/5/6	0.202	0.070
11	जगन्नाथ पिता छीता	16/1	0.284	0.200
12	मोहनलाल पिता छीता	16/2	0.500	0.225

१३	मांगीलाल ,अनारबाई पिता प्यारजी , रतनबाई पति .प्यारजी	9 /4/5	0.202	0.202
१४	उंकारसिंह , गुलाबबाई पिता गिरधारी, मांगीलाल,हरचन्द भंवरीबाई ,कस्ततूरी देवी पिता हीरालाल हि 1/4 जगन्नाथ. हरलाल मानसिंह बापुलाल मांगीबाई पिता प्यारजी हि 1/4 बनेसिंह देवसिंह पिता भंवरलाल राधीबाई बेवा भवरलाल, रामलाल पिता रतीराम हि 1/4 शंकर रामसिंह पिता मोती हि 1/4	14	3.339	1.936
१५	किशोर , बंशीलाल ,किशनलाल पिता भंवर लाल देवीलाल मोरसिंह शांतिबाई पिता चेनसिंह मांगीबाई बेवा चेनसिंह धूलजी ,मदनलाल ,बद्रीलाल पिता अमरसिंह , गेंदीबाई बेवा अमरसिंह	177	0.493	0.072
१६	किशोर , बंशीलाल ,किशनलाल पिता भंवर लाल देवीलाल मोरसिंह शांतिबाई पिता चेनसिंह मांगीबाई बेवा चेनसिंह धूलजी ,मदनलाल ,बद्रीलाल पिता अमरसिंह , गेंदीबाई बेवा अमरसिंह	178	0.126	0.126
१७	पांचुलाल , राजबाई पिता नाथूलाल ,अमरी बेवा नाथूलाल	179/1	0.038	0.038
१८	गुलाबसिंह पिता रामचन्द,केसरबाई बेवा रामचन्द	179/2	0.038	0.038
१९	बापूलाल पिता प्यारजी	180/4	0.029	0.029
२०	मानसिंह पिता प्यारजी	180/3	0.029	0.029
२१	हरलाल पिता प्यारजी	180/2	0.028	0.028
२२	बापूलाल पिता प्यारजी	183/4	0.088	0.011
२३	पांचुलाल , राजबाई पिता नाथूलाल ,अमरी बेवा नाथूलाल	183/5	0.177	0.177
२४	गुलाबसिंह पिता रामचन्द,केसरबाई बेवा रामचन्द	183/6	0.177	0.177
२५	भोरसिंह ,केशरसिंह पिता जगन्नाथ जडावबाई बेवा जगन्नाथ	209/1	0.064	0.033
२६	हरलाल पिता प्यारजी	209/2	0.064	0.033
२७	मानसिंह पिता प्यारजी	209/3	0.063	0.032
२८	बाबू लाल पिता प्यारजी	209/4	0.063	0.032
२९	पांचुलाल , राजबाई पिता नाथूलाल अमरीबाई बेवा नाथूलाल	209/5	0.126	0.095
३०	गुलाबसिंह पिता रामचन्द,केसरबाई बेवा रामचन्द	209/6	0.126	0.066
३१	भंवर लाला ,कन्हैयालाल पिता देवीराम जाति लोडा	212/1	0.607	0.103
३२	रामनारायण चन्दरसिंह दिनेश ललताबाई पति लालसिंह	212/2	1.025	0.140
३३	देवीराम ,हरिसिंह ,कवरलाल पिता गंगाराम, हीराबाई पुत्री गंगाराम पारीबाई पति गंगाराम जाति लोडा	208	1.341	1.244
३४	भंवर लाला ,कन्हैयालाल पिता देवीराम जाति लोडा	213	1.163	0.699

३५	किशोर, बंशीलाल, किशनलाल पिता भवर लाल देवीलाल मोरसिंह शातिबाई पिता चेनसिंह मांगीबाई बेवा चेनसिंह, धूलजी, मदनलाल, बद्रीलाल पिता अमरसिंह, गेंदीबाई बेवा अमरसिंह	206	1.101	0.015
३६	रतनलाल पिता तुलसीराम	216/1	0.716	0.191
३७	प्रेमसिंह पिता देवीलाल	214	0.531	0.298
३८	बाबूलाल पिता बाबरु जाति लोडा	217/1	0.626	0.424
३९	हजारी लाल पिता बाबरु	217/2	0.626	0.618
४०	बापूलाल पिता प्यारजी लोडा	218/1/1	1.401	0.063
४१	मानसिंह पिता प्यारजी	218/1/2	1.401	0.483
४२	बापूलाल पिता प्यारजी लोडा	222/3	0.349	0.021
४३	पांचूलाल राजबाई पिता नाथूलाल अमरीबाई बेवा नाथू	222/4	0.500	0.100
४४	गुलाबसिंह पिता रामचन्द्र, केसरबाई बेवा रामचन्द्र	222/5	0.500	0.205
४५	हरलाल पिता प्यारजी	220/5	0.238	0.042
४६	जगन्नाथ पिता प्यारजी	220/6	0.230	0.227
	कुल योग :-		21.584	9.248

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.15649

कमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके सलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्कथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण में प्रभावित भूमि :—

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्कम
(1)	(2)	(3)
1	किशनपुरिया	7.191
	कुलयोग :-	7.191

अनुसूची (2)

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम किशनपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	प्रभुनाथ सिंह, जगदिशसिंह, गोविन्दकुंठ और गिराज सिंहपिता नारायण सिंह तेजकंवर बेवा नारायण सिंह जाति राजपुत	54/8	6.070	1.166
2	मांगीलाल पिता अनारजी जाति राजपूत	54/5	5.059	0.860
3	गंगाराम पिता भेरू	54/4/1	0.506	0.130
4	रामनारायण पिता भेरू	54/4/5	0.506	0.131
5	जगन्नाथ प्रभुलाल रामचरण पिता भंवरिया रमकू बाई बेवा भंवरिया जाति लोडा	54//2/1	2.529	0.707
6	देवसिंह पिता राम सिंह जाति लोडा	54/1/9	1.216	0.188
7	गोरेलाल पिता पेमा	54/3/4	0.316	0.316
8	कालू पिता पेमा	54/3/3	0.317	0.123
9	तुलसीराम पिता धीसा जाति लोडा	54/2/2	0.958	0.000
10	जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति लोडा	54/1/8	0.298	0.040
11	प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा	54/1/7	1.216	0.218
12	धूलजी पिता गंगाराम	52	0.898	0.287
13	भंवरिया, किशनलाल, हिरालाल, म्यारसीराम पिता परथी, राजू बाई बेवा परथी	53	1.012	0.749
14	बन्दना राजेन्द्र विजयवर्गीय	55/6/1	0.839	0.201
15	गोपीलाल पिता रायसिंह	55/4/1	1.012	0.672
16	देवसिंह पिता राम सिंह	55/4/2	1.707	1.404
	कुल योग :-		24.459	7.191

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बेरेली जिला रायसेन मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 2810-भू-अर्जन-17

रायसेन, दिनांक 17 जुलाई 2017

प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सभावना हैं। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम – खुरसुरु

तहसील— उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा न.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खुरसुरु	भूपेन्द्र सिंह आ. ओमकार सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	301/2 304/1	4.046 4.047	0.456	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाडी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातीर उप
2	खुरसुरु	ओमकार सिंह आ. देवीसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी	304/2	4.435	0.131		
3	खुरसुरु	रोहित कुमार आ. वीरेन्द्र सिंह जाति रघुवरशी निवासी ग्राम भू स्वामी	305/2/1	3.275	0.105		
4	खुरसुरु	सोरभ सिंह आ. ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम खपरखेडा भू स्वामी	305/2/2/2	1.639	0.096		

प्र.क्र. 2431-भू-अर्जन-17

रायसेन, दिनांक 25 जुलाई 2017

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2015-16 /भू-अर्जन/उदयपुरा चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूचि के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम – निवाड़ी

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निवाड़ी	अमिषेक आ. देवेन्द्र सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	84/1	0.948	0.005	कार्यपालन यंत्री बारना बांधी टट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातौर उप नहर हेतु
2		बृजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह आ. त्रिलोक सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	84/2/1	1.619	0.106		
3		ओमप्रकाश आ. राधेसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	84/3	2.428	0.107		
4		केशव सिंह आ. भगवतसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	88/1	3.304	0.075		
5		कमलेश कुमार आ. साहब सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी	90/1	2.460	0.066		
6		राजश्री, चन्द्रप्रभा पुत्री त्रिभुवन रिंग जाति राजपूत निवासी ग्राम वछवार जि. नरसिंहपुर	91	15.046	0.143		
7		हरगोविन्द आ. मोहनलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू स्वामी	92	4.909	0.212		

डॉ. एस. तोमर, अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 327-(1)भू-अर्जन-2017

दमोह, दिनांक 18 जुलाई 2017

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को ओजस्विनी कॉलेज से छपरट बम्होरी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम देवरी किशुनगढ़ में कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम – ओजस्विनी कॉलेज से छपरट बम्होरी मार्ग निर्माण।

ग्राम का नाम – देवरी किशुनगढ़

रकबा – 0.06 है।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भू-स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा क.	लुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे.में	अन्य सम्पत्ति
ग्राम – रायपुर					
1	श्रीनिति बबीता असाटी पति श्री चन्द्रप्रकाश असाटी	2	0.95	0.02	–
2	श्री अम्बिका प्रसाद दुबे पिता श्री स्वामी प्रसाद दुबे	10/1	0.14	0.04	–
कुल योग :-			1.09	0.06	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अवर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र. 04-अ-82-2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2017

चूँकी शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमी राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में मड़वाघाट तालाब एवं तालाब की बाई नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय निति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र.12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद में म्याद (समयावधी) गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय निति क्र.12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम— मड़वाघाट तालाब निर्माण हेतु।
 2. भूमि का विवरण— ग्राम टैनिपुरा, तहसील पृथ्वीपुर जिला-टीकमगढ़
- अर्जित भूमि का क्षेत्रफल — 1.705 हेक्टेयर।

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे. मे	अर्जित रकबा हे. मे
1	रामा पत्नि फुल्ला कुम्हार	7/2	0.809	0.809
	योग	1 किता	0.809	0.809
2	मारीरथ तनय सुकु 1/2 सुजान ख्याली चमन मुमुलिया बेवा चिमन	14	1.696	0.896
	योग	1 किता	1.696	0.896
3	महायोग		2.505	1.705

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— मड़वाघाट तालाब, निर्माण हेतु।
4. भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी अनुविभाग निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 05-अ-82-2016-17

चूंकी शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में मड़वाघाट तालाब एवं तालाब की बाई नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनोंक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय निति) के तहत क्रय करनें पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनोंक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद में म्याद (समयावधी) गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय निति क्र.12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनोंक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम— मड़वाघाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।
 2. भूमि का विवरण— ग्राम पपावनी खास तहसील पृथ्वीपुर जिला-टीकमगढ़
- अंजित भूमि का क्षेत्रफल — 1.974 हेक्टेयर।

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे. मे	अंजित रकबा हे. मे
1	मनसुख तनय डमरु हिस्सा 1/2 बृषभान ,मकुन्ची, रामदयाल तनय दिवली हिस्सा 3/8 , बराबर नाथूराम तनय परसादी हिस्सा 1/8, जाती लोधी	647/2	0.162	0.112
	योग—	1 किता	0.162	0.112
2	करई पुत्री वरजोर हिस्सा 1/3 , रामप्रकाश, सुरेशप्रसाद, कमलेश अरविन्द तनय गोरेलाल हिस्सा 1/8 , कृपू गोरे लाल तनय ठकरे हिस्सा 2/8, मु. रावरानी वेवा भैयालाल,राजाराम, लखनलाल,वीरसिंह तनय भैया लाल हिस्सा 1/8, गुड़ी पत्नी सुरेशप्रसाद लोधी हिस्सा 200/1283 मु. नन्नीबाई वेवा गिलोजी भानसिंह , परसराम नारायणदास बालकदास तनय गिलोची हिस्सा 13/1283	646	1.283	0.120
	योग—	1 किता	1.283	0.120
3	करई पुत्री वरजोर हिस्सा 1/3 , रामप्रकाश, सुरेशप्रसाद, कमलेश अरविन्द तनय गोरेलाल हिस्सा 1/8 , कृपू गोरे लाल तनय ठकरे हिस्सा 2/8, मु. रावरानी वेवा भैयालाल,राजाराम, लखनलाल,वीरसिंह तनय भैया लाल हिस्सा 1/8, मु. नन्नीबाई वेवा गिलोजी भानसिंह , परसराम नारायणदास बालकदास तनय गिलोची हिस्सा 1/6	639,640	1.538	0.24
	योग—	2 किता	1.538	0.24
4	नाथूराम तनय परसादी 1/3, प्रेमबाई पुत्री परसादी हि. 1/3 ,विमला वेवा नाथूराम हिस्सा 1/3 जाती लोधी	625/1	0.696	0.204
	योग—	1 किता	0.696	0.204
5	करई पुत्री वरजोर जाती लोधी	625/2	2.165	0.204
	योग—	1 किता	2.165	0.204

6	सुखनन्दन ,रमेश,रामसहाय तनय गोरेलाल हिस्सा 13/36 मलखान तनय रघुआ हिस्सा 1/9 अर्जुन तनय लम्पू हिस्सा 1/6 नाथूराम तनय परसादी , प्रेमबाई पुत्री परसादी,विमला वेवा नाथूराम हिस्सा 1/3 सिम्बू पुत्री जग्गा हिस्सा 1/12 कैलाश श्रीराम तनय अर्जुन हिस्सा 1/12 जाति लोधी	627	0.283	0.088
	योग—	1 किता	0.283	0.088
7	दयाराम पल्टू तनय लम्पू हिस्सा 1/2 शान्ती पत्नी रमेश हिस्सा 1/2 जाति लोधी	574,573, 569	0.571	0.112
	योग—	3 किता	0.571	0.112
8	शान्ती पत्नी रमेशप्रसाद लोधी हि.1/4 सिरनाम तनय पुन्ने , इमरत तनय छुट्टे लोधी हि. 9/64 पारवती वेवा मेहरवान,जीवन तनय मेहरवान, बसन्ती पुत्री मेहरवान, हि. 9/128, अनन्तराम तनय रामदीन, सिरकुंवर पुत्री रामदीन हि. 9/128,राकेश कुमार, राजेन्द्र कुमार तनय महेश कुमार बाढ़ई हि. 3/16, दयाराम,पल्टू तनय लम्पू हि. 1/4 , दयाराम ,रामसहाय तनय लम्पू बाढ़ई हि. 1/32	568	0.765	0.080
	योग—	1 किता	0.765	0.080
9	जगदीश, चन्दनसिंह तनय सुके हि. 1/2, निर्भय तनय बल्ले हि. 1/2	856	0.291	0.030
	योग—	1 किता	0.291	0.030
10	गिरजा विन्द्रावन, बृशभान, श्याम तनय कम्मोद हि. 1/2, रतन लाल तनय नृपत हि. 1/2	857,858, 859	0.453	0.06
	योग—	3 किता	0.453	0.06
11	सुखराम तनय देशराज हि.5/36, भागचन्द्र लालसिंह बादाम सिंह पप्पू कल्लू तनय सुखराम हि. 1/6, रामस्वरूप जगदीश तनय जुझार, हि. 1/3, पुक्खन धनीराम सत्यप्रकाश हरदयाल तनय देशराज प्यारीबाई वेवा देशराज लोधी हि. 5/18 भागचन्द्र लालसिंह बादामसिंह पप्पू कल्लू त0 सुखराम 1/12	877	1.125	0.150
	योग—	1 किता	1.125	0.150
12	रामस्वरूप जगदीश त0 जुझार लक्ष्मी वेवा जुझार जाति लोधी	978/1	0.146	0.078
	योग—	1 किता	0.146	0.078
13	रतन तनय नृपत हि.1/14 गिरजा विन्द्रावन बृशभान श्यामलाल तनय कम्मोद हि. 1/14,लखन पप्पू तनय हल्के हि. 5/28, रामेश्वर अशोक तनय गोरेलाल,पार्वती वेवा गोरे लाल हि. 5/28, भरवा छक्की घुरके कुट्टू तनय अमान हि. 1/2	905,907, 908	1.817	0.216
	योग—	3 किता	1.817	0.216
14	सुखनंदन पुक्खन धनीराम सत्यप्रकाश हरदयाली तनय देशराज लोधी	909/1	0.194	0.080
	योग—	1 किता	0.194	0.080
15	ख्याली तनय मुलू जाति कुम्हार	909/3	1.942	0.148
	योग—	1 किता	1.942	0.148
16	डमरू त0 हरदास 1/2 जगदीश चन्दनसिंह त0 सूके 1/2 समान भाग	1017/ 856	0.138	0.052
	योग—	1 किता	0.138	0.052
	महायोग—	13,569	1.974	

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं— मडवाधाट तालाब, नहर निर्माण हेतु।
4. भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू— अर्जन अधिकारी अनुविभाग निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 06-अ-82-2016-17

चूँकी शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमी राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में मड़वाघाट तालाब एवं तालाब की बाई नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनोंक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय निति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनोंक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद में म्याद (समयावधी) गुजर जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय निति क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनोंक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम— मड़वाघाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।
 2. भूमि का विवरण— ग्राम बनियानि, तहसील पृथ्वीपुर जिला-टीकमगढ़
- अंजित भूमि का क्षेत्रफल — 3.645 हेक्टेयर।

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे. मे	अंजित रकबा हे. मे
1	गणेश बैजनाथ अलपन तनय रामदयाल यादव	7,55,56	0.793	0.083
	योग—	3 किता	0.793	0.083
2	जयराम तनय हरदेव चालिराम तनय वंशी कुटला प्यारी पुत्री कलुवा मु. नन्नीबाई बेवा कलुवा 1/2 भरत छनदी घुरका कुट्टु तनय अमान कुम्हार हि. 1/2	35	0.073	0.010
	योग—	1 किता	0.073	0.010
3	सुजान त. हलका हि 1/2 मानकुंवर बेवा विकमसिह, वीरसिह तनय विकमसिह यादव हि 0 1/2	51	0.275	0.090
	योग—	1 किता	0.275	0.090
4	प्रहलाद त० लाखन मु पार्वती बेवा लाखन रासपति पुत्री लाखन हि. 1/8 करनसिंग अंगद त० हरदेव हि 0 1/16 मनीराम बादाम	54	0.081	0.035
	सीताराम त० दयाराम यादव हि 0 3/16 प्रहलाद त० लाखन मु० पार्वती बेवा लाखन रासपति पुत्री लाखन हरदेव त० चुखर महीप राजेन्द्र त० वृषभान मुन्नाबेवा वृषभान शीला पुत्री वृषभान मुन्ना बेवा वृषभान कंचन बेवा दयाराम कुवरलाल सुखलाल त० कीरत सुजान त० हल्के मानकुंवर बेवा विकमसिह वीरसिह यादव 1/9			
	योग—	1 किता	0.081	0.035
5	गेबू कुन्जी ग्याप्रसाद श्रीराम तनय सुनू यादव हि 2/3 देवीसिह तनय श्यामलाल मलखान किशोरी तनय ग्यासी	57	0.109	0.004
	योग—	1 किता	0.109	0.004
6	तुलसीदास अतरसिह त० पंचम हि. 1/4 बक्सी विजयसिह त० धुमानी हि. 1/2 कोमल रहिस नारायण त० इमरत हि 1/4	71	0.150	0.007
	योग—	1 किता	0.150	0.007

7	धर्मेन्द्रसिंह जितेन्द्रसिंह तनय रत्नसिंह 1/4 मातादीन तनय हलकू 1/4 रामसजीवन श्रीराम हि.1/2 जाती यादव	73,82,83, 84	0.259	0.056
	योग—	4 किता	0.259	0.056
8	मनीराम सुरेश तनय छक्की कमला कुशमा मल्ला किशोरी पुत्री छक्की लुहार हि.1/2 सुनील त. मोती शांती बेवा मोती जाति लुहार हि.1/2	97,98	0.158	0.034
	योग—	2 किता	0.158	0.034
9	जगदीश रामनारायण संजय तनय कुन्जी मु. रचकू बेवा कुन्जी हि. 1/4 हरदेव तनय चुखर मु. मनीराम बादामसिंह सीताराम तनय दयाराम हि.1/4 कुरनसिंह अंगदसिंह तनय हरदेव हि.3/16 मनिराम बादामसिंह सीताराम तनय दयाराम हि.1/16 प्रह्लाद त.0 लाखन मु. पार्वती बेवा लाखन रासपती पुत्री लाखन महीप राजेन्द्र तनय बृषभान मुशीला पुत्री बृषभान मु. मूना बेवा बृषभान मुजुबा कमला सावित्री धनवन्ति पूत्री मन्जूवा रघूविर सूरज लक्ष्मी त.0 मन्जूवा 1/8 बादामसिंह सीताराम तनय दयाराम हि.1/8	111	0.255	0.036
	योग—	1 किता	0.255	0.036
10	हरदेव तनय चुखर 1/4 महीप राजेद्र तनय बृषभान शीला पुत्री बृषभान मु.मुलाबाई बेवा बृषभान हि. 1/4 प्रह्लाद तनय लाखन मु. पार्वती बेवा लाखन रासपती पुत्री लाखन हि.1/4 मनीराम बादाम सीताराम तनय दयाराम यादव हि.1/4	112,113, 114	0.377	0.072
	योग—	3 किता	0.377	0.072
11	कोमल तनय काशीराम हि. 1/2 हरीसिंह अर्जुन सुरेन्द्र तनय काशीराम अहिरवार हि.1/2	640/3, 640/3	4.37	0.213
	योग—	2 किता	4.37	0.213
12	कमलेश परमांद तनय दुर्जन चमार	655/2/2	0.800	0.800
	योग—	1 किता	0.800	0.800
13	जसू तनय बुद्दे चमार	655 /2/ 11	0.800	0.800
	योग—	1 किता	0.800	0.800
14	पाना पत्ति पन्ना उमा पत्ति रामचरन कस्तूरी पत्ति हरीदास	655/2 ख	1.00	0.890
	योग—	1 किता	1.000	0.890
15	फरसराम तनय मत्थू चमार	655/2/7	0.800	0.515
	योग—	1 किता	0.800	0.515
	महायोग—		10.30	3.645

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं— मडवाघाट तालाब, नहर निर्माण हेतु।
4. भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू— अर्जन अधिकारी अनुविभाग निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय मे देखा जा सकता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र. भू-अर्जन-39-(अ-82)-2016-2017-68.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सापेने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	विनोदी माल प.ह.न.-11 रा.नि.म. शाहपुर.	422 423 424 417 425 416 381 382 383 384 385 345 389/8 386 387 394/1 394/2 393 391 392 390	0.22 0.29 0.36 0.40 0.11 0.19 0.05 0.26 0.18 0.87 6.19 1.08 0.20 0.80 0.72 0.31 1.16 0.20 0.14 0.60 1.24	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मुद्रकी मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			389/7	0.16		
			344	0.36		
			346/1	0.63		
			346/2	0.91		
			347	0.86		
			311	1.24		
			362	0.81		
			361	0.24		
			360	0.25		
			358	0.24		
			363	0.17		
			359/1	0.30		
			359/2	0.40		
			357	0.73		
			366	0.18		
			365	0.85		
			367	0.50		
			368	1.10		
			370	0.63		
			373	0.67		
			374	0.08		
			443	0.43		
			442	0.14		
			448	0.94		
			444	0.25		
			447	0.88		
			450	1.32		
			458	0.06		
			455	0.50		
			456/1	0.45		
			459	0.03		
			312	1.82		
			456/2	0.45		
			456/3	0.48		
			योग .	34.63		
	शासकीय भूमि		369	0.19		
			445	0.37		
			446	0.40		
			457	1.04		
			योग .	2.00		
			सकल योग .	36.63		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्र. भू-अर्जन-40-(अ-82)-2016-2017-71.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	खसरा नंबर	अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)	(4)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कुटडर रैयत प.ह.न.-21 रा.नि.म. शाहपुर.	187 188 189 176/1 176/2 162/1 171 172 174 160 175/1 175/2 175/3 162/2 166 168 169 178/2 125/1 125/2 133/1 133/2 164 126 130/2 131/1	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	0.34 0.42 0.27 1.58 1.99 0.03 0.22 1.40 0.23 0.02 0.18 0.54 0.59 0.32 1.40 1.07 0.12 0.24 0.14 0.25 0.86 1.19 0.09 0.30 0.13 0.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	मुड़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			131/2	0.21		
			132	0.50		
			129/1	0.05		
			129/2	0.10		
			116	0.29		
			121	0.55		
			134/1	0.36		
			134/3	0.36		
			114	0.13		
			117	0.12		
			118	0.24		
			115/1	0.18		
			115/2	0.11		
			115/3	0.70		
			113	0.80		
			103	0.16		
			104	0.07		
			105/1	0.04		
			105/2	0.04		
			105/3	0.04		
			105/4	0.04		
			102	0.22		
			106/1	0.16		
			106/2	0.16		
			111	0.03		
			100	0.32		
			107	0.22		
			108	0.43		
			98	0.81		
			97/1	0.66		
			97/2	0.29		
			94	0.76		
			87	0.41		
			86	0.07		
			89/1	0.17		
			89/2	0.56		
			93	0.82		
		निजी भूमि योग . .		25.32		
		शासकीय भूमि 130/1		0.17		
			161	0.48		
			122	0.19		
			120	0.24		
			173	0.16		
			134/2	0.13		
			101	0.13		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			95	0.07		
			99	0.34		
			96	0.44		
		शासकीय भूमि योग .		<u>2.35</u>		
			सकल योग .	<u>27.67</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-41-(अ-82)-2016-2017-72.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	तेंदूमेर मोहतरा	48	0.74	कार्यपालन यंत्री, जल	मुड़की मध्यम परियोजना
		प.ह.न.-11	49/1	0.67	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	शीर्ष कार्य हेतु.
		रा.नि.म. शाहपुर.	52	0.24		
			50	0.43		
			23/1	1.44		
			23/2	0.10		
			24	0.02		
			45/1	0.07		
			45/2	0.38		
			45/3	0.32		
			22	3.52		
			44	2.18		
			39	0.29		
			38	0.38		
			21	0.16		
			14	0.18		
			12	0.18		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			13	1.21		
			11	0.29		
			10	0.24		
			9	0.82		
			8	2.91		
			6	4.00		
			5	1.51		
			26	0.72		
			25	0.32		
			27	0.01		
			26	0.12		
			25	0.23		
			21	0.21		
			18	0.13		
			16/1	0.06		
			16/2	0.05		
			16/3	0.13		
			16/4	0.06		
			15/1	0.32		
		निजी भूमि योग . .		24.64		
		शासकीय भूमि 37		3.43		
		शासकीय भूमि योग . .		3.43		
		सकल योग. .		28.07		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लॉरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-42-(अ-82)-2016-2017-73.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिप्लॉरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिप्लॉरी	डिप्लॉरी	जाटा रैयत	78	1.00	कार्यपालन यंत्री, जल	मुड़की मध्यम परियोजना
		प.ह.नं.-20	79	1.02	संसाधन संभाग, डिप्लॉरी.	शीर्ष कार्य हेतु.
		रा.नि.म. शाहपुरा.	65	0.02		

76	0.01
77	0.17
75	0.02
निजी भूमि योग . .	2.24
शासकीय भूमि	0.00
शासकीय भूमि योग . .	0.00
सकल योग . .	2.24

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिपॉर्टर में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

प्र. क्र. 5-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में दिये गये राजमार्ग क्रमांक 48 हटा-फतेहपुर-सिलपरी-बाजना-दरगुवां तक किये जा रहे दो लेन निर्माण में ग्राम बाजना की प्रभावित होने वाली राजस्व भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (30 सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा 11 एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्साहा	बाजना	0.339	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.	राजमार्ग क्रमांक 48 हटा-फतेहपुर सिलपरी-बाजना-दरगुवां तक किये जा रहे दो लेन निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017	2171	0.016	
	1247/2	0.003	
	1248/3	0.001	
पत्र क्र. 58-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।	1249/1	0.001	
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।	2176/4	0.002	
चूंकि, बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—	1248/1	0.001	
अनुसूची	2176/5	0.001	
(1) भूमि का वर्णन—	1248/2	0.001	
(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	2176/1	0.002	
(ख) तहसील—सिरमौर	1248/4	0.001	
(ग) नगर/ग्राम—लालगांव-510	2176/3	0.002	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.650 हेक्टेयर.	2177/1	0.001	
खसरा नं.	अर्जित रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
1237/2	0.023	2169/1	0.005
1239	0.014	2169/2	0.005
1240/1	0.004	2173	0.006
1240/2	0.004	2176/2	0.002
1241	0.009	2177/1	0.001
1243	0.015	2178/3	0.003
1243/1	0.001	2178/4/2	0.002
1243/3	0.007	2185/1	0.005
1243/4	0.006	2185/3	0.004
1244/1	0.013	2185/2	0.004
1246	0.004	2189	0.012
1247/1	0.005	2363/1	0.004
		2363/2	0.004
		2208/1	0.003
		2209/1	0.001
		2210/2	0.001
		2299/2	0.001
		2309/1	0.017
		2310/2	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
2314/2	0.010	2289	0.006
2322/3	0.006	2292	0.017
2208/2	0.003	2295	0.008
2209/2	0.001	2296	0.001
2210/3	0.001	2322/1	0.002
2299/3	0.001	2324	0.029
2300/2	0.007	2299/1	0.001
2306/2	0.008	2300/1	0.003
2310/3	0.004	2306/1	0.004
2313/3	0.002	2310/1	0.001
2314/3	0.012	2314/1	0.002
2322/4	0.005	2322/2	0.002
2209/3	0.001	2299/4	0.001
2210/1	0.004	2300/3	0.004
2675/2314	0.014	2306/3	0.004
2211	0.001	2310/4	0.001
2212/4	0.001	2314/4	0.002
2212/1	0.005	2322/5	0.002
2358/1	0.009	2306/4	0.002
2212/2	0.005	2309/2	0.002
2302/3	0.001	2178/1	0.003
2353/3	0.004	2178/2	0.003
2357/2	0.004	2328	0.016
2212/3	0.005	2345	0.015
2302/1	0.001	2163/3	0.001
2353/1	0.005	2364	0.005
2354	0.009	2366	0.010
2357/1	0.004	2369	0.003
2212/5	0.002	2353/2	0.004
2358/2	0.009	2359/1	0.004
2213/1	0.007	2359/2	0.002
2302/2	0.001	2654/1256	0.012
2357/3	0.005	कुल रकमा .. 0.650	
2213/2	0.006		
2214	0.005	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बैंकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु.	
2215	0.012		
2216/1	0.008	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. भ/स संभाग, क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
2680/2328	0.004		
2216/2	0.008		
2287	0.004	पत्र क्र. 51-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के	
2288	0.017		

कालम (2) में वर्णित भूमि, की अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्वस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—बैकुण्ठपुर-408
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.187 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

550/2	0.001
549	0.012
550/1	0.002
548/1	0.006
548/2	0.003
547/2	0.002
523	0.010
546/1	0.002
545	0.007
546/2	0.002
546/3/1	0.001
546/3	0.001
520/1	0.001
520/2	0.006
520/3	0.006
534	0.002
588/1	0.006
524/1/क	0.003
526/1	0.003
537/1	0.001
524/1/ख	0.003
526/2	0.003

(1)	(2)
537/2	0.001
524/2	0.001
527/1	0.001
528/1	0.002
527/2	0.003
527/3	0.003
528/2	0.001
529/1, 529/2/क	0.004
529/2/ख	0.001
529/2/ग	0.002
533/1/क	0.002
533/1/ख	0.001
533/2	0.006
533/3	0.002

491	0.016
492	0.011
493	0.008
494	0.001
489	0.008
488/2	0.006
514/1	0.012
514/2	0.012

कुल रकबा . . 0.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु।

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. भ/स संभाग, क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 20 जुलाई 2017

पत्र क्र. 417-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—बांसा 30	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 6.078 हे.	908/9		निजी भूमि
खसरा	का रकबा	टिप्पणी	निजी भूमि
नम्बर	(हे. में)		निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	निजी भूमि
912	0.349	निजी भूमि	निजी भूमि
911/1		निजी भूमि	निजी भूमि
911/2		निजी भूमि	निजी भूमि
911/3		निजी भूमि	निजी भूमि
911/4		निजी भूमि	निजी भूमि
911/5		निजी भूमि	निजी भूमि
911/6		निजी भूमि	निजी भूमि
911/7		निजी भूमि	निजी भूमि
911/8	0.045	निजी भूमि	निजी भूमि
911/9		निजी भूमि	निजी भूमि
911/10		निजी भूमि	निजी भूमि
911/11		निजी भूमि	निजी भूमि
911/12		निजी भूमि	निजी भूमि
911/13		निजी भूमि	निजी भूमि
911/14		निजी भूमि	निजी भूमि
911/15		निजी भूमि	निजी भूमि
911/16		निजी भूमि	निजी भूमि
910/1		निजी भूमि	निजी भूमि
910/2		निजी भूमि	निजी भूमि
910/3		निजी भूमि	निजी भूमि
910/4		निजी भूमि	निजी भूमि
910/5		निजी भूमि	निजी भूमि
910/6		निजी भूमि	निजी भूमि
910/7		निजी भूमि	निजी भूमि
910/8		निजी भूमि	निजी भूमि
910/9	0.418	निजी भूमि	निजी भूमि
910/10		निजी भूमि	निजी भूमि
910/11		निजी भूमि	निजी भूमि
910/12		निजी भूमि	निजी भूमि
910/13		निजी भूमि	निजी भूमि
910/14		निजी भूमि	निजी भूमि
910/15		निजी भूमि	निजी भूमि
910/16		निजी भूमि	निजी भूमि
908/1		निजी भूमि	निजी भूमि
908/2		निजी भूमि	निजी भूमि
908/3		निजी भूमि	निजी भूमि
908/4		निजी भूमि	निजी भूमि
908/5	0.208	निजी भूमि	निजी भूमि
908/6		निजी भूमि	निजी भूमि
908/7		निजी भूमि	निजी भूमि
908/8		निजी भूमि	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
936/8		निजी भूमि	1108/1		निजी भूमि
936/9		निजी भूमि	1108/2		निजी भूमि
936/10		निजी भूमि	1108/3	0.557	निजी भूमि
936/11		निजी भूमि	1108/4		निजी भूमि
936/12		निजी भूमि	1108/5		निजी भूमि
937/1	0.018	निजी भूमि	1108/6		निजी भूमि
937/2		निजी भूमि	1105	0.040	निजी भूमि
938/1		निजी भूमि	1101/1		निजी भूमि
938/2		निजी भूमि	1101/2	0.350	निजी भूमि
938/3		निजी भूमि	1101/3		निजी भूमि
938/4		निजी भूमि	1097/1		निजी भूमि
938/5		निजी भूमि	1097/2		निजी भूमि
938/6	0.046	निजी भूमि	1097/3		निजी भूमि
938/7		निजी भूमि	1097/4	0.552	निजी भूमि
938/8		निजी भूमि	1097/5		निजी भूमि
938/9		निजी भूमि	1097/6		निजी भूमि
938/10		निजी भूमि	1097/7		निजी भूमि
939/1		निजी भूमि	1097/8		निजी भूमि
939/2		निजी भूमि	1096	0.016	निजी भूमि
939/3		निजी भूमि	1098/1		निजी भूमि
939/4		निजी भूमि	1098/2	0.015	निजी भूमि
939/5	0.157	निजी भूमि	1098/3		निजी भूमि
939/6		निजी भूमि	1098/4		निजी भूमि
939/7		निजी भूमि	1089/1/1		निजी भूमि
939/8		निजी भूमि	1089/1/क		निजी भूमि
939/9		निजी भूमि	1089/1/ख		निजी भूमि
939/10		निजी भूमि	1089/1/ग		निजी भूमि
1109/1		निजी भूमि	1089/1/घ		निजी भूमि
1109/2		निजी भूमि	1089/2		निजी भूमि
1109/3		निजी भूमि	1089/3/1		निजी भूमि
1109/4		निजी भूमि	1089/3/8		निजी भूमि
1109/5		निजी भूमि	1089/3/9		निजी भूमि
1109/6	0.057	निजी भूमि	1089/3/2	0.391	निजी भूमि
1109/7		निजी भूमि	1089/3/6		निजी भूमि
1109/8		निजी भूमि	1089/3/7		निजी भूमि
1109/9		निजी भूमि	1089/3/10		निजी भूमि
1109/10		निजी भूमि	1089/3/3		निजी भूमि
1109/11		निजी भूमि	1089/3/4		निजी भूमि
940/1	0.012	निजी भूमि	1089/3/5		निजी भूमि
940/2		निजी भूमि	1089/3/क		निजी भूमि
942/1	0.015	निजी भूमि	1089/4/क		निजी भूमि
942/2		निजी भूमि	1089/4/ख		निजी भूमि
शा. न.		निजी भूमि	1089/5		निजी भूमि
941/1		निजी भूमि	1089/6		निजी भूमि
942/2		निजी भूमि	1089/7		निजी भूमि
शा. न.		निजी भूमि	1089/8		निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1089/9		निजी भूमि	1062/6		निजी भूमि
1089/10		निजी भूमि	1062/14		निजी भूमि
1089/11		निजी भूमि	1062/15		निजी भूमि
1089/12		निजी भूमि	1062/2/2		निजी भूमि
1088/1, 1088/2	0.048	निजी भूमि	1064/1		निजी भूमि
1061/1, 1061/2,	0.065	निजी भूमि	1064/2	0.007	निजी भूमि
1061/3, 1061/4		निजी भूमि	1049/1/क		निजी भूमि
1063/1		निजी भूमि	1049/1/ख		निजी भूमि
1063/2		निजी भूमि	1049/1/ग		निजी भूमि
1063/16		निजी भूमि	1049/5		निजी भूमि
1063/3		निजी भूमि	1049/3		निजी भूमि
1063/4/1		निजी भूमि	1049/4	0.246	निजी भूमि
1063/4/2	0.243	निजी भूमि	1049/6		निजी भूमि
1063/5		निजी भूमि	1049/7		निजी भूमि
1063/13		निजी भूमि	1049/8		निजी भूमि
1063/6		निजी भूमि	1049/2		निजी भूमि
1063/7		निजी भूमि	1047/1		निजी भूमि
1063/14		निजी भूमि	1047/2	0.015	निजी भूमि
1063/15		निजी भूमि	1042/1		निजी भूमि
1063/8		निजी भूमि	1042/2		निजी भूमि
1063/9/1		निजी भूमि	1042/3		निजी भूमि
1063/9/2		निजी भूमि	1042/4		निजी भूमि
1063/10		निजी भूमि	1042/5		निजी भूमि
1063/11		निजी भूमि	1042/6		निजी भूमि
1063/12		निजी भूमि	1042/7		निजी भूमि
1063/17		निजी भूमि	1042/8	0.154	निजी भूमि
1063/18		निजी भूमि	1042/9		निजी भूमि
1063/19		निजी भूमि	1042/10		निजी भूमि
1063/20		निजी भूमि	1042/11		निजी भूमि
1063/21		निजी भूमि	1042/12		निजी भूमि
1063/22		निजी भूमि	1042/13		निजी भूमि
1063/23		निजी भूमि	1039/1/क		निजी भूमि
1062/1		निजी भूमि	1039/4		निजी भूमि
1062/2/1		निजी भूमि	1039/1/ख	0.237	निजी भूमि
1062/7		निजी भूमि	1039/5		निजी भूमि
1062/8		निजी भूमि	1039/2		निजी भूमि
1062/9		निजी भूमि	1039/3		निजी भूमि
1062/10		निजी भूमि	1008/1		निजी भूमि
1062/11		निजी भूमि	1008/2		निजी भूमि
1062/12	0.218	निजी भूमि	1008/3	0.048	निजी भूमि
1062/13		निजी भूमि	1008/4		निजी भूमि
1062/3		निजी भूमि	1036/1		निजी भूमि
1062/4/1		निजी भूमि	1036/2		निजी भूमि
1062/4/2		निजी भूमि	1036/3	0.160	निजी भूमि
1062/4/3		निजी भूमि	1036/4		निजी भूमि
1062/5		निजी भूमि	1036/5		निजी भूमि
			1035/1	0.059	निजी भूमि
			1035/2		निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1033/1	0.097	निजी भूमि
1033/2		निजी भूमि
1032	0.005	निजी भूमि
1031/1		निजी भूमि
1031/2	0.019	निजी भूमि
935/1/1		निजी भूमि
935/1/2		निजी भूमि
935/1/3		निजी भूमि
935/1/4	0.035	निजी भूमि
935/1/8		निजी भूमि
935/1/9		निजी भूमि
935/2		निजी भूमि
935/3		निजी भूमि
935/4		निजी भूमि
935/5		निजी भूमि
1107/1		निजी भूमि
1107/3		निजी भूमि
1107/4		निजी भूमि
1107/5		निजी भूमि
1107/6		निजी भूमि
1107/7		निजी भूमि
1107/8		निजी भूमि
1107/9		निजी भूमि
1107/10	0.093	निजी भूमि
1107/11		निजी भूमि
1107/12		निजी भूमि
1107/13		निजी भूमि
1107/14		निजी भूमि
1107/2		निजी भूमि
1107/15		निजी भूमि
1107/16		निजी भूमि
1040/1		निजी भूमि
1040/2/1		निजी भूमि
1040/2/2		निजी भूमि
1040/3	0.001	निजी भूमि
1040/4		निजी भूमि
1040/5		निजी भूमि
1040/6		निजी भूमि

कुल योग . 6.078

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाइन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कलेक्टर रीवा एवं उपखण्ड अधिकारी, हुजूर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 418-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—मङ्वा-493
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निंजी रकबा 17.129 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	का रकबा (हे. में) (2)	टिप्पणी (3)
2212/1/1	0.042	निजी भूमि
2212/1/2	0.154	निजी भूमि
2213/1	1.444	निजी भूमि
2213/2	1.443	निजी भूमि
2214	2.015	निजी भूमि
2209	0.239	निजी भूमि
2215	0.480	निजी भूमि
2208	0.406	निजी भूमि
2206/1	0.527	निजी भूमि
2206/2	0.543	निजी भूमि
2206/3	0.743	निजी भूमि
2206/4	0.743	निजी भूमि
2206/5	0.168	निजी भूमि
2204	0.141	निजी भूमि
2205	1.483	निजी भूमि
1553/1	1.611	निजी भूमि
1553/3	0.004	निजी भूमि
1553/4	0.004	निजी भूमि
1553/5	0.004	निजी भूमि
1553/6	0.004	निजी भूमि
1553/7	0.004	निजी भूमि
1553/8	0.004	निजी भूमि
1553/9	0.004	निजी भूमि
1553/10	0.004	निजी भूमि
1553/11	0.004	निजी भूमि
1553/12	0.004	निजी भूमि
1553/13	0.004	निजी भूमि
1553/14	0.004	निजी भूमि
1553/15	0.004	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1553/16	0.004	निजी भूमि	1575/1/ग/1	0.020	निजी भूमि
1553/17	0.004	निजी भूमि	1575/1/ग/2	0.020	निजी भूमि
1553/18	0.004	निजी भूमि	1575/1/घ	0.016	निजी भूमि
1553/19	0.004	निजी भूमि	1575/1/ड	0.016	निजी भूमि
1553/20	0.004	निजी भूमि	1575/1/च	0.016	निजी भूमि
1553/2	0.101	निजी भूमि	1575/1/छ	0.016	निजी भूमि
1558	0.067	निजी भूमि	1575/1/ज	0.016	निजी भूमि
1552/1	0.145	निजी भूमि	1575/1/झ	0.016	निजी भूमि
1726	0.022	निजी भूमि	1575/1/ञ	0.016	निजी भूमि
1725	0.140	निजी भूमि	1575/3/क	0.010	निजी भूमि
1550/1/3	0.082	निजी भूमि	1575/3/क/1	0.008	निजी भूमि
1550/6	0.031	निजी भूमि	1575/3/क/2	0.008	निजी भूमि
1550/3	0.012	निजी भूमि	1575/3/क/3	0.012	निजी भूमि
1550/4	0.040	निजी भूमि	1575/3/घ	0.061	निजी भूमि
1559	0.883	निजी भूमि	1575/3/ड	0.061	निजी भूमि
1559/3	0.040	निजी भूमि	1502/1/ख	0.036	निजी भूमि
1561/1	0.020	निजी भूमि	1502/1/क	0.017	निजी भूमि
1561/2	0.020	निजी भूमि	1502/2/ख	0.016	निजी भूमि
1561/3	0.040	निजी भूमि	1502/1/3	0.006	निजी भूमि
1561/4	0.014	निजी भूमि	1502/1/4	0.006	निजी भूमि
1561/5	0.014	निजी भूमि	1502/1/5	0.006	निजी भूमि
1561/6	0.013	निजी भूमि	1502/1/6	0.006	निजी भूमि
1561/7	0.012	निजी भूमि	1502/1/7	0.006	निजी भूमि
1562/1	0.034	निजी भूमि	1502/1/8	0.004	निजी भूमि
1562/2	0.038	निजी भूमि	1502/1/9	0.004	निजी भूमि
1562/3	0.044	निजी भूमि	1502/1/10	0.006	निजी भूमि
1562/4	0.044	निजी भूमि	1502/1/11	0.006	निजी भूमि
1562/5	0.030	निजी भूमि	1502/1/12	0.006	निजी भूमि
1562/6	0.030	निजी भूमि	1502/1/13	0.006	निजी भूमि
1562/7	0.030	निजी भूमि	1502/1/14	0.006	निजी भूमि
1562/8	0.030	निजी भूमि	1502/1/15	0.004	निजी भूमि
1562/9	0.020	निजी भूमि	1502/1/16	0.004	निजी भूमि
1562/10	0.020	निजी भूमि	1502/1/17	0.004	निजी भूमि
1562/11	0.020	निजी भूमि	1502/2/क	0.075	निजी भूमि
1562/12	0.020	निजी भूमि	1502/2/ग	0.130	निजी भूमि
1562/13	0.028	निजी भूमि	1502/2/1	0.008	निजी भूमि
1562/14	0.028	निजी भूमि	1502/2/2	0.008	निजी भूमि
1562/15	0.057	निजी भूमि	1502/2/घ	0.075	निजी भूमि
1562/16	0.057	निजी भूमि	1500/1/क	0.308	निजी भूमि
1572	0.049	निजी भूमि	1500/1/ख	0.239	निजी भूमि
1570/1	0.260	निजी भूमि	1500/1/1	0.032	निजी भूमि
1570/1/2	0.036	निजी भूमि	1500/1/2	0.004	निजी भूमि
1569/1	0.117	निजी भूमि	1500/1/3	0.004	निजी भूमि
1569/1/2	0.073	निजी भूमि	1500/1/4	0.004	निजी भूमि
1575/1/ख/2	0.008	निजी भूमि	1500/1/5	0.004	निजी भूमि
1575/1/ख/3	0.008	निजी भूमि	1500/1/6	0.008	निजी भूमि
1575/1/ख/4	0.008	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1500/1/7	0.004	निजी भूमि	1506/1/2	0.008	निजी भूमि
1500/1/8	0.004	निजी भूमि	1506/2	0.005	निजी भूमि
1500/1/9	0.004	निजी भूमि	1506/3	0.008	निजी भूमि
1500/1/10	0.004	निजी भूमि	1505/1	0.004	निजी भूमि
1500/1/11	0.004	निजी भूमि	1507/1/1	0.006	निजी भूमि
1500/1/12	0.004	निजी भूमि	1507/1/2	0.008	निजी भूमि
1500/1/13	0.004	निजी भूमि	1507/1/3	0.008	निजी भूमि
1500/1/14	0.004	निजी भूमि	1507/1/4	0.008	निजी भूमि
1500/1/15	0.008	निजी भूमि	1507/1/5	0.008	निजी भूमि
1500/1/16	0.004	निजी भूमि	1507/1/6	0.008	निजी भूमि
1500/1/17	0.004	निजी भूमि	1507/1/7	0.008	निजी भूमि
1500/1/18	0.004	निजी भूमि	1507/1/8	0.008	निजी भूमि
1500/1/19	0.004	निजी भूमि	1507/1/9	0.008	निजी भूमि
1500/1/20	0.004	निजी भूमि	1507/1/10	0.008	निजी भूमि
1500/1/21	0.004	निजी भूमि	1507/1/11	0.008	निजी भूमि
1500/1/22	0.004	निजी भूमि	1507/1/12	0.008	निजी भूमि
1500/1/23	0.004	निजी भूमि	1507/2/1	0.069	निजी भूमि
1500/1/24	0.004	निजी भूमि	1507/2/2	0.008	निजी भूमि
1500/1/25	0.004	निजी भूमि	1507/2/3	0.008	निजी भूमि
1501/1/1	0.001	निजी भूमि	1507/2/4	0.008	निजी भूमि
1501/1/2	0.006	निजी भूमि	1508/3	0.001	निजी भूमि
1501/1/3	0.006	निजी भूमि	1503	0.001	निजी भूमि
1501/1/4	0.008	निजी भूमि	1571	0.293	निजी भूमि
1501/1/5	0.004	निजी भूमि	कुल योग .		17.129
1501/1/6	0.006	निजी भूमि			
1501/1/7	0.006	निजी भूमि			
1501/1/8	0.004	निजी भूमि			
1501/1/9	0.004	निजी भूमि			
1501/1/10	0.006	निजी भूमि			
1501/1/11	0.004	निजी भूमि			
1501/1/12	0.004	निजी भूमि			
1501/1/13	0.006	निजी भूमि			
1501/2/2	0.008	निजी भूमि			
1501/2/3	0.008	निजी भूमि			
1501/2/4	0.008	निजी भूमि			
1501/2/5	0.008	निजी भूमि			
1501/2/6	0.008	निजी भूमि			
1501/2/7	0.008	निजी भूमि			
1501/2/8	0.008	निजी भूमि			
1501/2/9	0.008	निजी भूमि			
1501/2/10	0.004	निजी भूमि			
1501/2/11	0.004	निजी भूमि			
1506/1/1	0.006	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाइन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कलेक्टर रीवा एवं उपखण्ड अधिकारी, हुजूर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 मई 2017

क्र.-भू-अर्जन-03-23(अ-82)2015-2016-31—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस

प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—सरवाही प.ह.नं. 10/62 रा.नि.मं. कोहानी देवरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.730 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
369/1	0.13
370	0.06
391	0.15
399	0.18
398/1	0.11
398/2	0.07
निजी भूमि— योग . .	0.700
शासकीय भूमि—योग . .	0.03
सकल योग . .	<u>0.730</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सरवाही जलाशय लघु सिंचाई योजना नहर कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र.-भू-अर्जन-06(अ-82)2016-2017-57.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—शक्ति भगदू. ऐ. प.ह.नं. 47 रा.नि.म. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.36 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.22
131	0.16
133	0.19
130	0.16
127	0.30
126	0.08
47/1	0.11
49	0.06
48	0.20
46	0.07
45	0.03
29	0.41
31	0.24
33	0.10
योग . .	<u>2.33</u>
शासकीय भूमि . .	
118	0.02
32	0.01
योग . .	<u>0.03</u>
सकल योग . .	<u>2.36</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-07(अ-82)2016-2017-58.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

		(1)	(2)
अनुसूची		381	0.07
(1) भूमि का वर्णन—		378	0.01
(क) जिला—डिण्डौरी		380	0.01
(ख) तहसील—शहपुरा		373	0.01
(ग) ग्राम—बड़खेरा प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. शहपुरा		372	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.54 हेक्टेयर.		362	0.04
सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	363/1 363/2 363/3	0.01 0.01 0.01
(1)	(2)		
613	0.04	214	0.02
532	0.06	215	0.06
614	0.03	213/1	0.02
533	0.05	213/2	0.02
525	0.03	213/3	0.02
83	0.09	212	0.05
524/1	0.01	115	0.12
524/2	0.01	114	0.20
534	0.01	113	0.08
216	0.11	87	0.05
491	0.03	88	0.02
495	0.03	89	0.02
492	0.03	80	0.05
494/1/1	0.04	81	0.05
494/1/2	0.02	85	0.06
84	0.06	494/2	0.01
493	0.02	388/2	0.01
345	0.02	82	0.02
388/1	0.01	योग . .	1.51
112	0.16	शासकीय भूमि . .	
387	0.01	334	0.01
383	0.04	147	0.02
384	0.01	योग . .	0.03
381	0.07	सकल योग . .	1.54
378	0.01		
380	0.01		
373	0.01		
372	0.03		
362	0.04		
363/1	0.01		
363/2	0.01		
387	0.01		
383	0.04		
384	0.01		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-08(अ-82)2016-2017-59.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—समनपुरा ऐ. प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161/1	0.01
161/2	0.01
162	0.01
142/1	0.05
142/2	0.03
142/3	0.03
163/1	0.01
योग . .	0.15
शासकीय भूमि . .	0.00
योग . .	0.00
सकल योग . .	0.15

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-09(अ-82)2016-2017-60.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा

- (ग) ग्राम—टिकरा खम्हरिया, प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.30 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38	0.13
39/1	0.11
39/2	0.11
40	0.20
31	0.28
32	0.13
34	0.09
35	0.08
36/3	0.04
36/11	0.04
36/10	0.04
36/2	0.05
योग . .	1.30
शासकीय भूमि . .	0.00
योग . .	0.00
सकल योग . .	1.30

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-10(अ-82)2016-2017-61.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—मुडकी ऐ., प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.69 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85/1	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
85/2	0.14	554	0.03
101/3	0.06	355	0.02
124	0.01	365	0.03
173	0.13	377	0.03
102	0.19	376/1	0.02
योग . .	<u>0.67</u>	376/2	0.02
शासकीय भूमि . .		376/3	0.02
126	0.01	376/4	0.02
123	0.01	370	0.07
योग . .	<u>0.02</u>	21/1	0.01
सकल योग . .	<u>0.69</u>	21/3	0.01

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-11(अ-82)2016-2017-62.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—टिकरिया, प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.97 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकमा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

341	0.05	64/3	0.01
342	0.03	64/5	0.03
343/1	0.03	64/2	0.03
343/2	0.03	64/6	0.02
344	0.02	65	0.02
352/1	0.01	66	0.03
352/2	0.01	67	0.05
369	0.05	69/1	0.04

(1)	(2)	428/1	0.01
59	0.14	263/2	0.01
58/1	0.02	428/2	0.01
58/2	0.05	263/3	0.01
58/3	0.05	428/3	0.01
64/3	0.05	426/4	0.02
58/5	0.05	414/1	0.01
58/6	0.02	262	0.06
58/7	0.02	256	0.14
57/1	0.02	261/1	0.04
57/2	0.02	261/2	0.04
योग . .	<u>1.81</u>	261/3	0.04
शासकीय भूमि		245	0.04
339	0.12	248/1	0.01
366	0.02	248/2	0.02
20	0.02	248/3	0.02
योग . .	<u>0.16</u>	248/4	0.01
सकल योग . .	<u>1.97</u>	248/5	0.01
		248/6	0.01
		247	0.04

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-12(अ-82)2016-2017-63.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—बिजौरी, प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.82 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	181/4	0.01
(1)	(2)	165	0.02
263/1	0.03	169	0.06
		166/1	0.05

(1)	(2)	(ग) ग्राम—गुरेया, प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. शहपुरा
162	0.02	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.46 हेक्टेयर.
166/2	0.04	सर्वे नंबर भू-अर्जन हेतु
168	0.01	प्रस्तावित रकबा
167/1	0.01	(हेक्टेयर में)
167/2	0.01	(1) (2)
104/3	0.03	24/1 0.10
131	0.12	23/1 0.11
161	0.02	23/2 0.07
149/1	0.01	18/1 0.07
132	0.05	24/2 0.11
128/1	0.02	योग . . 0.46
128/2	0.02	शासकीय भूमि
128/3	0.02	योग . . 0.00
129	0.03	सकल योग . . 0.46
115	0.01	
योग . .	1.76	
शासकीय भूमि		
427	0.03	(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी
277	0.01	कलेक्टर/डिपॉर्टी में देखा जा सकता है.
250	0.01	
278	0.01	
योग . .	0.06	क्र.-भू-अर्जन-14(अ-82)2016-2017-65.—चूंकि,
सकल योग . .	1.82	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
		(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इ
		प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की उ
		नहीं है.
		अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित
		और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की ध

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिंडौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-13(अ-82)2016-2017-64.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनसची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—शहपुरा

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिपॉर्टमेंट में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-14(अ-82)2016-2017-65.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनसची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—ममेला, प.ह.नं. 43 रा.नि.मं. शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149	0.04
योग . .	<u>0.04</u>
शासकीय भूमि	
418	0.08
427	0.04

(1)	(2)
421	0.05
426	0.01
योग . .	<u>0.18</u>
सकल योग . .	<u>0.22</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.भू-अर्जन-15(अ-82)2016-2017-66.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—समनपुरा मा. प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
196	0.06
197	0.02
205/1	0.06
205/3	0.02
202	0.03
203	0.03
201	0.01
योग . .	<u>0.23</u>
शासकीय भूमि	
योग . .	<u>0.00</u>
सकल योग . .	<u>0.23</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.भू-अर्जन-16(अ-82)2016-2017-67.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—बरगांव, प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. शहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.49 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)
------------	---

(1)	(2)
313	0.10
314	0.03
315/1	0.02
315/2	0.02
315/3	0.02
362/1	0.06
363/2	0.04
361	0.02
380	0.02
363/1	0.12
892	0.06
172	0.02
379	0.30
385	0.08
509	0.02
508	0.01
545	0.01
546	0.01
547/1	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
548	0.01	592	0.02
551	0.01	402	0.06
552	0.01	591	0.08
553	0.01	637	0.08
554	0.02	636	0.02
556	0.02	645/1/क	0.03
557/1	0.01	645/1/ख	0.04
557/2	0.01	645/2	0.03
769	0.02	889	0.01
767	0.03	890	0.02
766	0.03	891	0.03
764/1	0.04	906	0.01
764/2	0.02	905	0.04
764/3	0.02	912/1	0.04
558	0.07	913	0.07
559	0.01	914	0.10
560	0.02	924	0.14
562	0.02	550/2	0.01
561	0.02	912/2	0.05
498/1	0.02	363/2	0.06
589/4	0.02	योग . .	<u>2.41</u>
498/2	0.02	शासकीय भूमि	
589/3	0.02	510	0.01
498/3	0.02	555	0.01
589/2	0.02	499	0.02
496	0.03	590	0.01
587	0.01	870	0.02
586	0.01	588	0.01
584	0.01	योग . .	<u>0.08</u>
582	0.01	सकल योग . .	<u>2.49</u>
576	0.01	(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डोरी में देखा जा सकता है।	
577	0.01	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
589/1	0.02	अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	
498/4	0.01		

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 5 जुलाई 2017

संशोधित आदेश

क्र. 402-भू-अर्जन-2017.—जिला सतना स्थित ग्राम अबेर की निम्न अनुसूची में वर्णित भूमि दिनांक 28 मई 1992 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधानों के तहत टोन्स जलविद्युत परियोजना हेतु अर्जित की गई थी चूंकि ये भूमि इबू क्षेत्र में बाहर है तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी निर्देश एफ-12-17-2007-सात-2 ए भोपाल दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 के क्रमांक (4) के प्रावधानों के तहत मूल भू-स्वामियों अथवा उनके वैद्य उत्तराधिकारियों को तत्समय भुगतान की गयी प्रतिकर राशि वापस करने की दशा में निम्न अनुसूची में उल्लिखित विवरण अनुसार वापस करने का निर्णय लिया गया है।

इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 117-भू-अर्जन-2017 सतना, दिनांक 7 मार्च 2017 के द्वारा संलग्न अनुसूची के अनुसार ग्राम अबेर की कुल 27 किता आराजी एवं रकबा कुल 8.235 है। का राजपत्र एवं दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आराजी नं. 3336 के स्थान पर टंकण त्रुटि वश 3536 हो गया है, जबकि भूमि वापसी की आराजी नं. 3336 रकबा 0.231 है। है। अतः निम्नलिखित अनुसार संशोधित प्रकाशन किया जाता है:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—अबेर
- (घ) क्षेत्रफल—0.231 हेक्टर।

खसरा नं.	वापस योग्य रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3336	0.0231

म. प्र. पा. ज.कं. लि. सिरमौर
निजी खाता भूमि योग रकबा

0.231

उक्त भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर सतना के भू-अर्जन शाखा में कार्यालयीन समय पर (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) किया जा सकता है।

कोई भी प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि के

अन्दर अपना आपत्ति दावा कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना में प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि का अवसान होने पर किसी प्रकार के आपत्ति दावा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 6 जुलाई 2017

प्र. क्र. 108-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—गुनौर
- (ग) ग्राम—रामनगर, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.490 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
18/1	0.090	निजी भूमि
19/1	0.070	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
22/1/ka	0.100	निजी भूमि	5257	0.020	निजी भूमि
22/2	0.050	निजी भूमि	5255	0.14	निजी भूमि
23/1	0.080	निजी भूमि	5256	0.03	निजी भूमि
3	0.100	निजी भूमि	5246	0.144	निजी भूमि
कुल अर्जित रकमा ..	<u>0.490</u>		5232/1	0.045	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.			5232/2	0.485	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुबिधानीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.			5230	0.010	निजी भूमि

पन्ना, दिनांक 5 जुलाई 2017

प्र. क्र. 118-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—पवई, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.412 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकमा ..	भूमि का
	(हेक्टेयर में)	प्रकार
(1)	(2)	(3)
5258	0.100	निजी भूमि

3549/1	0.090	निजी भूमि
3549/2	0.090	निजी भूमि
3547	0.020	निजी भूमि
3548	0.010	निजी भूमि
3581	0.010	निजी भूमि
3582	0.080	निजी भूमि
3584/1/ka	0.020	निजी भूमि
3584/1/ga	0.020	निजी भूमि
3584/2	0.020	निजी भूमि
3584/3	0.010	निजी भूमि
3586	0.010	निजी भूमि
3584/1/ka	0.020	निजी भूमि
3584/1/ga	0.020	निजी भूमि
3584/2	0.020	निजी भूमि
3581	0.010	निजी भूमि
3582	0.080	निजी भूमि
3548	0.010	निजी भूमि
3549/1	0.090	निजी भूमि
3549/2	0.090	निजी भूमि
3547	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
891	0.020	निजी भूमि	666	0.010	निजी भूमि
5259	0.280	निजी भूमि	665	0.170	निजी भूमि
5242	0.140	निजी भूमि	678	0.010	निजी भूमि
5241	0.010	निजी भूमि	668	0.010	निजी भूमि
5240	0.140	निजी भूमि	667	0.030	निजी भूमि
5239	0.010	निजी भूमि	662/1	0.120	निजी भूमि
780	0.010	निजी भूमि	662/2	0.120	निजी भूमि
779	0.100	निजी भूमि	914	0.150	निजी भूमि
778	0.010	निजी भूमि	912	0.030	निजी भूमि
782	0.010	निजी भूमि	954/2	0.096	निजी भूमि
783	0.010	निजी भूमि	947	0.042	निजी भूमि
775	0.130	निजी भूमि	950/6440	0.024	निजी भूमि
774	0.010	निजी भूमि	951/1	0.080	निजी भूमि
773	0.100	निजी भूमि	951/2	0.030	निजी भूमि
772	0.010	निजी भूमि	950/6447	0.020	निजी भूमि
771	0.040	निजी भूमि	950/1	0.020	निजी भूमि
770	0.010	निजी भूमि	950/2	0.020	निजी भूमि
769/1	0.030	निजी भूमि	1041/2	0.120	निजी भूमि
769/2	0.120	निजी भूमि	1042	0.060	निजी भूमि
768	0.010	निजी भूमि	1043	0.010	निजी भूमि
793/1	0.080	निजी भूमि	1044/2	0.180	निजी भूमि
794/2	0.010	निजी भूमि	1033/2	0.010	निजी भूमि
793/2	0.080	निजी भूमि	1031	0.140	निजी भूमि
795	0.130	निजी भूमि	1029	0.010	निजी भूमि
796	0.010	निजी भूमि	1028	0.060	निजी भूमि
817	0.010	निजी भूमि	1389/1/ka	0.010	निजी भूमि
703/2	0.010	निजी भूमि	1389/1/kha	0.045	निजी भूमि
704/2	0.300	निजी भूमि	1390/1	0.010	निजी भूमि
699	0.240	निजी भूमि	1389/2	0.096	निजी भूमि
698	0.010	निजी भूमि	1390/2	0.010	निजी भूमि
692	0.200	निजी भूमि	1391/1	0.115	निजी भूमि
691	0.010	निजी भूमि	1391/2	0.011	निजी भूमि
689	0.010	निजी भूमि	1386	0.010	निजी भूमि
690	0.320	निजी भूमि	1392/1	0.010	निजी भूमि
685	0.010	निजी भूमि	1400/1	0.141	निजी भूमि
684	0.010	निजी भूमि	1400/2	0.109	निजी भूमि
686	0.170	निजी भूमि	1400/3	0.064	निजी भूमि
679	0.260	निजी भूमि	1401/2	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1402/1	0.077	निजी भूमि	763	0.010	निजी भूमि
1402/2	0.010	निजी भूमि	720	0.130	निजी भूमि
1402/3	0.020	निजी भूमि	719	0.010	निजी भूमि
1402/4	0.093	निजी भूमि	718	0.010	निजी भूमि
1403/1	0.010	निजी भूमि	764	0.080	निजी भूमि
1451/1	0.102	निजी भूमि	716	0.210	निजी भूमि
1451/2	0.110	निजी भूमि	715	0.010	निजी भूमि
1451/3	0.077	निजी भूमि	722/2	0.060	निजी भूमि
1450	0.010	निजी भूमि	762	0.010	निजी भूमि
1449	0.130	निजी भूमि	721/2	0.010	निजी भूमि
1446	0.010	निजी भूमि	620	0.150	निजी भूमि
1447	0.130	निजी भूमि	621	0.010	निजी भूमि
1445	0.020	निजी भूमि	622	0.010	निजी भूमि
1444	0.010	निजी भूमि	625	0.010	निजी भूमि
1448	0.010	निजी भूमि	626	0.130	निजी भूमि
1428/1	0.090	निजी भूमि	627	0.010	निजी भूमि
1431/2	0.147	निजी भूमि	628	0.030	निजी भूमि
1432/2	0.010	निजी भूमि	629	0.010	निजी भूमि
1434/1	0.128	निजी भूमि	595/2	0.050	निजी भूमि
1435	0.010	निजी भूमि	593/1	0.080	निजी भूमि
1433/2	0.021	निजी भूमि	593/2	0.160	निजी भूमि
149	0.198	निजी भूमि	592	0.010	निजी भूमि
5275	0.010	निजी भूमि	632/1	0.130	निजी भूमि
5276/2	0.050	निजी भूमि	633/1	0.010	निजी भूमि
5276/3	0.070	निजी भूमि	524/1	0.170	निजी भूमि
5276/4	0.010	निजी भूमि	523	0.010	निजी भूमि
5276/5	0.010	निजी भूमि	522/1	0.020	निजी भूमि
5277/2	0.010	निजी भूमि	522/2	0.060	निजी भूमि
756/1/ka	0.060	निजी भूमि	521/1	0.010	निजी भूमि
756/1/kha	0.100	निजी भूमि	528	0.020	निजी भूमि
756/2	0.040	निजी भूमि	529	0.010	निजी भूमि
757/1	0.010	निजी भूमि	6354/5	0.060	निजी भूमि
754/4	0.100	निजी भूमि	6354/4	0.110	निजी भूमि
758/1	0.030	निजी भूमि	3654/3	0.090	निजी भूमि
753/4	0.010	निजी भूमि	474	0.010	निजी भूमि
760	0.220	निजी भूमि	473	0.080	निजी भूमि
759/1	0.010	निजी भूमि	472	0.010	निजी भूमि
761	0.010	निजी भूमि	465	0.190	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
464	0.010	निजी भूमि	369/1	0.085 निजी भूमि
463/1	0.030	निजी भूमि	369/2	0.085 निजी भूमि
463/2/ka	0.060	निजी भूमि	369/6362	0.010 निजी भूमि
463/2/kha	0.060	निजी भूमि	कुल अर्जित रकमा	14.412
463/2/ga	0.070	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु।	
460/2	0.010	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है।	
461/2	0.010	निजी भूमि	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
462	0.020	निजी भूमि		
434/1	0.080	निजी भूमि		
434/2	0.030	निजी भूमि		
436/1	0.080	निजी भूमि		
436/2	0.080	निजी भूमि		
435/1	0.010	निजी भूमि		
437/2	0.010	निजी भूमि		
427/2	0.010	निजी भूमि		
428/2	0.090	निजी भूमि		
426	0.180	निजी भूमि		
419	0.010	निजी भूमि		
420/2	0.010	निजी भूमि		
422/2	0.010	निजी भूमि		
410/1/kha	0.130	निजी भूमि		
410/2	0.220	निजी भूमि		
409/2	0.010	निजी भूमि		
331	0.130	निजी भूमि		
332	0.010	निजी भूमि		
333	0.050	निजी भूमि		
334/1	0.280	निजी भूमि		
381	0.010	निजी भूमि		
382	0.010	निजी भूमि		
380/1/kha	0.070	निजी भूमि		
380/2	0.080	निजी भूमि		
379/1	0.010	निजी भूमि	(1)	(2)
355	0.050	निजी भूमि	42/2	0.065
356	0.160	निजी भूमि	42/4	0.069
376	0.150	निजी भूमि	46/6	0.170
375	0.010	निजी भूमि	46/7	0.049
368	0.010	निजी भूमि	46/10	0.049
367	0.110	निजी भूमि	46/11	0.049
			46/8	0.069
			43	0.178

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 11 जुलाई 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—रेहटी
- (ग) ग्राम—आँवलीघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.280 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकमा (हेक्टेयर में)
------------	------------------------

(1)	(2)
42/2	0.065
42/4	0.069
46/6	0.170
46/7	0.049
46/10	0.049
46/11	0.049
46/8	0.069
43	0.178

(1)	(2)	(ग) ग्राम—स्थाऊ
68/2	0.049	(घ) क्षेत्रफल—0.503 हेक्टेयर.
68/3	0.146	
68/4	0.263	
68/5	0.219	
68/6	0.129	(1)
68/7	0.332	784 मिन 0.0209
93	0.024	784 मिन 0.210
97	0.073	618 मिन 0.084
98	0.040	योग . . 0.503
99	0.040	
100/1	0.352	
100/2	0.138	
100/4	0.105	
100/7	0.154	
100/5	0.121	
100/8	0.009	
100/6	0.016	
88/7	0.372	
योग . .	3.280	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की खपत है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि खपानी के कार्यालय भू-अर्जन ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सलकनपुर-धरमकुंडी मार्ग के अंतर्गत आवंलीधाट सेतु निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गवालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2017

प्र. क्र. 11-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, गवालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

तिया, दिनांक 12 जुलाई 2017

प्र. क्र. 4-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

- ### (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
 (ख) तहसील—दतिया
 (ग) ग्राम—राजपुर
 (घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.018 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकमा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362	0.18
योग :	0.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है।—कासना नाला लघु सिंचाई योजना बांध स्थल के समीप रौकफिल के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

ग्वालियर, दिनांक 19 जुलाई 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—मुरार
(ग) ग्राम—उदयपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.157 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
141/2	0.132
141/3	0.025
योग . .	0.157

- (2) प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा (बेरजा) मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि

की अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बिजौली
(घ) क्षेत्रफल—0.090 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
1555	0.090
योग . .	0.090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटी की 3 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बनारपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.280 हेक्टेयर।

सर्वे नंबर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
124/6	0.130
145	0.150
योग . .	0.280

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—ग्वालियर
 - (ख) तहसील—ग्वालियर
 - (ग) ग्राम—गणेशपुरा
 - (घ) क्षेत्रफल—0.139 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189	0.139 योग . . <u>0.139</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—ग्वालियर
 - (ख) तहसील—ग्वालियर

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1731/1 मिनि-2	0.236 योग . . <u>0.236</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की रशीदपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 13-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—ग्वालियर
 - (ख) तहसील—ग्वालियर
 - (ग) ग्राम—बहांगीखुर्द
 - (घ) क्षेत्रफल—0.115 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
462	0.115 योग . . <u>0.115</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
	200/5	0.081	
	219	0.056	
खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2017	220/1	0.024	
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत]	220/2	0.004	
	224/1	0.016	
	224/2	0.004	
	224/7	0.006	
क्र.379-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	224/8	0.026	
अनुसूची	224/27	0.016	
(1) भूमि का वर्णन—	224/28	0.016	
(क) जिला—खरगोन	224/31	0.030	
(ख) तहसील—सनावद	225/1	0.036	
(ग) ग्राम—कोटल्याखड़ी	225/2	0.006	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.202 हेक्टेयर.	227/1	0.008	
	227/2	0.082	
	227/3	0.089	
	230	0.004	
	231/1	0.036	
	231/3	0.235	
	231/4	0.085	
	232/1	0.044	
	232/2	0.236	
	326/2	0.040	
	326/3	0.040	
	326/4	0.048	
	330/1	0.080	
खसरा	अर्जित रकमा	330/2	0.275
नंबर	(हे. में)	356/2	0.202
(1)	(2)	356/4	0.440
187/1	0.270	357/1	0.150
187/2	0.048	357/3	0.105
189	0.145	359/1	0.246
195/1	0.170	359/2	0.440
196	0.012		
198/1	0.081	योग :	4.202
198/2	0.113	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।—“सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.”	
200/2	0.093		
200/3	0.020		
200/4	0.044		

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाहा एवं, उप-मुख्य इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 380-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—सनावद
- (ग) ग्राम—भौमवाडा
- (घ) क्षेत्रफल—0.189 हेक्टेयर

खसरा	अर्जित रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
343	0.081
345	0.020
348	0.024
349/1	0.024
350/1	0.040
योग : <u>0.189</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।—“सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाहा एवं, उप-मुख्य इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.381-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—सनावद
- (ग) ग्राम—बांगरदा
- (घ) क्षेत्रफल—0.383 हेक्टेयर

खसरा	अर्जित रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
149/1	0.156
150/1	0.056
150/2	0.056
151/4	0.044
158	0.071
योग : <u>0.383</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।—“सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.”

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाहा एवं, उप-मुख्य इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 31 जुलाई 2017

क्र.393-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसंधी

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—सनावद
 (ग) ग्राम—सनावद
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.587 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकम (हे. में) (2)
545/1	0.101
546/1	0.049
546/2 पैकी	0.332
546/2 पैकी	0.012
548	0.061
555/1	0.405
555/16	0.300
555/30	0.020
555/31	0.162
598/1	0.283
598/2	0.040
598/7	0.041
598/16	0.010
598/27	0.020
598/33	0.030

योग : 2.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।—“सनावद-खण्डवा के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु”:

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाहा एवं, उप-मुख्य इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंटीर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कमार वर्मा, कलेक्टर एवं समूचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14th July 2017

No. 907-Confld-2017-II-2-5-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh (MPSJA), Jabalpur is conducting Specialised Training Programmes for Advocates as per the action plan of XIV Finance Commission with the funds allocated by the State Government under the Head—"Training & Training Material" to the High Court.

For the aforesaid purpose, Advocates whose names are shown as per list 'A' annexed with this order, will participate, in the aforesaid Specialised Training Programme at Bhopal scheduled to be held from 15th—18th August, 2017 (from 10:30 am to 5:00 p.m.) as per the following terms and conditions :—

1. The nominated Advocates shall have to report at 10.00 a.m. sharp on 15th August 2017 at the venue intimated by District & Sessions Judge, Bhopal.
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed (i.e. white shirt and grey-black striped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women).
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (Bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination).
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation.
5. The participants shall be provided with breakfast, working lunch and tea twice with light snacks during the workshop.
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide "Certificate of participation" to the participants.

**MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY,
HIGH COURT OF M.P.
WORKSHOP FOR ADVOCATES (VENUE: BHOPAL)
DATE : 15-8-2017 TO 18-8-2017**

No.	Name	Place	Enrollment No.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Upendra Kumar Agarwal	Harda	
2	Smt. Sangeet Gurjar	Harda	
3	Shri Yash Tank	Harda	

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Shri Akhilesh Rathote	Harda	
5	Shri Deepak Khare	Harda	
6	Shri Rishi Pare	Harda	
7	Shri Anil Jat	Harda	
8	Shri Dharmendra Singh Rajput.	Harda	
9	Shri Kailash Rathore	Harda	
10	Shri Sandesh Shrivastava	Harda	
11	Shri Shashikant nagle	Betul	
12	Shri Sangeet Shrivastava	Chhindwara	
13	Shri Brajendra Singh Tomar	Chhindwara	
14	Shri Sujit Choudhary	Chhindwara	
15	Shri Sumit Gupta	Chhindwara	
16	Smt. Nisha Ghai	Chhindwara	
17	Shri Piyush Sharma	Chhindwara	
18	Shri Sachin Batra	Chhindwara	
19	Shri Mani Kusmariya	Chhindwara	
20	Smt. Neeta Malviya	Chhindwara	
21	Shri Ajijul Khan	Chhindwara	
23	Shri Ashutosh Yadav	Sagar	
24	Shri Bhagwat sharan Banwariya.	Sagar	
25	Shri Raman Kumar Jaroliya	Sagar	
28	Shri Krishan Kumar Prajapat	Sagar	
29	Shri Ram kumar Agrawal	Sagar	
30	Shri Arvind Jain "GopalGanj"	Sagar	
31	Shri Ramdas Raj	Sagar	
32	Shri Ravindra Kumar Awasthi	Sagar	
33	Smt. Gulab Gupta	Narsinghpur	1047/1993
34	Shri Ajay Malviya	Narsinghpur	1996/2005
35	Shri Pawan Kumar Umre	Narsinghpur	1262/2006
36	Shri Rajendra Kumar Soni	Narsinghpur	90/2006
37	Shri Rajesh Gupta	Narsinghpur	1504/2007
38	Shri Akhilesh Oswal	Narsinghpur	1505/2007
39	Shri Abhishek Kumar Golandaj	Narsinghpur	81/2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
40	Shri Krishan Kumar Sarate	Narsinghpur	2605/	63	Shri P. S. Dhosariya	Shajapur	
			2009	64	Shri S. R. Bod	Shajapur	
41	Shri Shrikant Sonkiya	Narsinghpur	1409/	65	Shri Rakesh Soni	Shajapur	
			2010	66	Shri Devendra Verma	Shajapur	
42	Shri Rajendra Singh Lodhi	Narsinghpur	4230/	67	Shri Kamal Patidar	Shajapur	
			2010	68	Shri Vivek Mehta	Shajapur	
43	Shri Narendra Parmar	Rajgarh		69	Shri Narendra Tiwari	Shajapur	
44	Shri Narayan Singh Verma	Rajgarh		70	Shri Ajoornsingh Hada	Shajapur	
45	Shri Sachin Shrivastava	Biaora		71	Shri Gajendra Singh Sisodiya	Shajapur	
46	Smt. Chitra Sharma	Biaora		72	Shri Indersingh Gami	Shajapur	
47	Shri Sanjay Soni	Narsinghgarh		73	Shri Himmat Singh Kushwaha	Vidisha	
48	Shri Shakeb Ali	Narsinghgarh		74	Shri Manu Shrivastava	Vidisha	
49	Shri Brajkishore Chouhan	Sarangpur		75	Shri Rajnish Jain	Ganjbasoda	
50	Shri Dinesh Malviya	Sarangpur		76	Shri Shailesh Samiya	Ganjbasoda	
51	Shri B. S. Pawar	Jeerapur		77	Shri Rishi Bajaj	Ganjbasoda	
52	Shri G. K. Agarwal	Jeerapur		78	Shri Akash Maheshwari	Ganjbasoda	
53	Shri Rajkumar Ahirwara	Damoh	MP/	79	Shri Nitesh Gaur	Hoshangabad	
			1379/	80	Shri Anurag Dixit	Hoshangabad	
			1990	81	Shri Mohanlal Yadav	Hoshangabad	
54	Smt. Preksha Pathak	Damoh	MP/	82	Shri Abhisek Shukla	Hoshangabad	
			945A/	83	Shri Rajiv Dubey (Jr.)	Hoshangabad	
			1997	84	Shri Vishveshwar Tiwari	Hoshangabad	
55	Shri Prashant Singh Hajari	Damoh	MP/	85	Shri Amit Kumar Gubrele	Hoshangabad	
			2000/	86	Shri Kuldeep dubey	Hoshangabad	
			1999	87	Shri Kamta Prasad Yadav	Hoshangabad	
56	Shri Ashish Kumar Bhatt	Damoh	MP/	88	Shri Harsh Tiwari	Hoshangabad	
			1264/	89	Shri Pradeep Kumar Dubey	Bhopal	
			2001	90	Shri Avinash Saxena	Bhopal	
57	Shri Shyam Bihari Khare	Damoh	MP/	91	Shri Ramakant Bhargava	Bhopal	
			1561/	92	Shri Sanjeev Prasad	Bhopal	
			2002	93	Shri Nand kishore Sahu	Bhopal	
58	Shri Dipendra Singh Tomar	Damoh	MP/	94	Shri Atmaram Tank	Bhopal	
			1915/	95	Shri Ajay Dubey	Bhopal	
			2002	96	Shri Digendra Vashisth	Bhopal	
59	Smt. Gayatri Ladiya	Damoh	MP/	97	Shri Anand Shrivastava	Bhopal	
			2300/	98	Shri Deepak Shrivastav	Bhopal	
			2004	99	Shri Rajkumar Shrivyas	Seoni	Seoni
60	Shri Firoz Khan	Damoh	MP/	100	Shri Prahlad Kumar Yadav	Seoni	Seoni
			3471/	101	Shri Radheshyam Daheriya	Seoni	Seoni
			2004	102	Shri Kapurchand Temre	Seoni	Seoni
61	Shri Rakesh Prajapati	Damoh	MP/	103	Shri Tarun Kumar Rajak	Seoni	Seoni
			1780/	104	Shri Rishabhpal Singh Baghel	Seoni	Seoni
			2005	105	Shri sheikh Latif Anshari	Seoni	Seoni
62	Shri Sheikh Irfan Usmani	Damoh	MP/	106	Shri Pinaaki Ranjan Sen	Seoni	Seoni
			1917/	107	Shri Pramod Shahu	Raisen	
			2005				

(1)	(2)	(3)	(4)
108 Shri Machal Singh Meena	Raisen		
109 Shri Axar Bhushan Dubey	Raisen		
110 Shri Jahanjeb	Raisen		
111 Shri Praveen Bhavasagar	Raisen		
112 Shri Nagendra Chaturvedi	Raisen		
113 Shri Girish Dhakad	Goharganj		
114 Shri Dharmendra Sharma	Raisen		
115 Shri Tirath Kushwaha	Raisen		
116 Shri Surya Prakhs Soni	Gairatganj		

Jabalpur, the 17th July 2017

No. 916-Confdl.-2017-II-2-5-2017.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur is conducting two days' Workshop for Panel Lawyers on 21st-22nd August 2017 in the BRBRAITT, Cantonment Board, Ridge Road, South Civil Lines, Jabalpur.

For the aforesaid purpose, Panel Lawyers whose names are shown as per list "A" annexed with this order, will participate in the Workshop on aforesaid dates from 11.00 AM to 5.00 PM, as per the following terms and conditions:—

1. The nominated Panel Lawyers shall have to report at 10.30 AM sharp on 21 August 2017 at BRBRAITT, Cantonment Board Ridge Road, South Civil Lines, Jabalpur.
2. The nominated Panel Lawyers are directed to appear soberly dressed (i. e. white shirt and grey-black striped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women).
3. Nominated Panel Lawyers are expected to bring law books (bare Acts of those enactments which are included in the programme).
4. The training programme will be conducted in BRBRAITT, Cantonment Board, Ridge Road, South Civil Lines, Jabalpur.
5. During the training programme, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks and dinner shall be served.
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide "Certificate of participation" to the participants.

**MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY,
HIGH COURT OF M.P. JABALPUR
WORKSHOP FOR THE PANEL LAWYERS
DATE : 21st and 22nd August 2017**

No.	Name	District
(1)	(2)	(3)
1	Shri Satyanarayan Mishra	Mandla
2	Shri Alok Jain	Mandla
3	Shri J.S. Khesgi	Mandleshwar
4	Shri C.K. Jain	Mandleshwar
5	Shri Abdul Kadar Mansoori	Mandsaur
6	Shri Shivraman Singh Pawar	Mandsaur
7	Shri Bhupendra Chaturvedi	Morena
8	Shri Jitendra Dandotia	Morena
9	Shri Subhash Nema	Narsinghpur
10	Shri Sudheer Dubey	Narsinghpur
11	Shri Chetan Shrama	Neemuch
12	Shri Lalaprasad Bairagi	Neemuch
13	Shri Dharmendra Kumar Pandey	Panna
14	Shri Mustkeem Baig	Panna
15	Shri Machal Singh Meena	Raisen
16	Shri Rajendra Singh Thakur	Raisen
17	Shri Irshad Khan	Rajgarh
18	Shri Dharmendra Kumar Namdeo	Rajgarh
19	Shri Dineshchandra Srivas	Ratlam
20	Shri Omprakash Borasia	Ratlam
21	Shri Nagendra Pratap Singh	Rewa
22	Shri Sourabh Dwivedi	Rewa
23	Shri Ravindra Kumar Awasthi	Sagar
24	Shri Harshbardhan Dubey	Sagar
25	Shri Devesh Prasad Gautam	Satna
26	Shri Virendra Singh Rajpoot	Satna
27	Shri O.P. Chorasia	Sehore
28	Shri Rajendra Kushwaha	Sehore
29	Shri Arvind Bramhabhatt	Seoni
30	Shri Tarun Kumar Rajak	Seoni
31	Shri Rajendra Kumar Dwivedi	Shahdol
32	Shri Rajesh Kumar Mishra	Shahdol
33	Shri Mayank Sharma	Shajapur
34	Shri Ashish Saxena	Shajapur
35	Shri Jameed Ahmad	Sheopur
36	Shri Narendra Mavai	Sheopur
37	Shri Baijnath Kushwaha	Shivpuri

(1)	(2)	(3)
38	Shri Dilshad Siddiqui	Shivpuri
39	Shri Arvind Shukla	Sidhi
40	Shri Rajendra Dwivedi	Sidhi
41	Shri Pradeep Kumar Shah	Singrauli
42	Shri Ramkaran Verma	Singrauli
43	Shri Danvendra Singh	Tikamgarh
44	Shri Dhanirarn Sahu	Tikamgarh
45	Shri Bherulal Bakalia	Ujjain
46	Miss Seema Bhadoria	Ujjain
47	Shri Gajraj Singh	Umariya
48	Shri Ashutosh Sharma	Umariya
49	Shri Madan Kishor Sharma	Vidisha
50	Shri Manish Sharma	Vidisha

Jabalpur, the 18th July 2017

No. 918-Confdl.-2017-II-15-36-99.—In continuation of Hon'ble the High Court Order No. 813-Confdl-2017, dated 22nd June 2017, regarding training of Officers of Labour Judiciary, the Judicial Officers who are to be notified for being appointed as Presiding Officer in Labour Court of the State, are also directed to attend the two days' **Workshop on—Labour Laws Scheduled to be held on 21st & 22nd July 2017** at Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

No. 920-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on-Key issues relating to Protection of Animals** for the Judicial Magistrates of the State on 12th August 2017 and 13th August 2017 in the Academy Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Whorkshop.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2017

क्र. E-5300-दो-2-27-2017.—डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 25 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3898-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को दिनांक 5 से 18 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश (पश्चात्कर्त्ता अवकाश दिनांक 17 से 18 जून 2017 तक) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2016 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-5302-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. B-3901-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 21 से 23 जून 2017 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3096-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री दिनेश कुमार नायक, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के

न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 204 दिवस (दो सौ चार दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :—

गणना-पत्रक

1. श्री दिनेश कुमार नायक, स्वैच्छिक : 25-10-1985
सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर के न्यायालय के अतिरिक्त¹
न्यायाधीश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2017
3. नियुक्ति दिनांक 25-10-1985 से : 01 वर्ष, 04 माह,
दिनांक 9-3-1987 तक 14 दिन.
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष, 10 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 240 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 36 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 204 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक

15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. C-3098-दो-2-34-2013.—श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 से 29 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. E-5305-दो-2-36-2014.—श्री महेश भदकारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश भदकारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश भदकारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5307-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 20 से 24 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2017

क्र. 896-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2-4 मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 4 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)/2898, दिनांक 11 जुलाई 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत् निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री रहस बिहारी गुप्ता, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, सीधी।	सीधी	नरसिंहपुर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री रहस बिहारी गुप्ता, वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद का समवर्ती प्रभार ((Concurrent charge)) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिनों के लिए कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे।
2	कु. भावना साधो, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डला।	मण्डला	भोपाल	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

टिप्पणी:—

कु. भावना साधो, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डला का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि कु. भावना साधो को उनके पूर्व के स्थानांतरण भोपाल से मण्डला हेतु परिवहन भत्ता (Transportation allowance) की भी पात्रता नहीं होगी।

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2017

क्र. 898-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री सतीश चन्द्र मालवीय, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल।	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई. सी. डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. E-5240-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 17 से 29 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्र. 892-गोपनीय-2017-दो-3-73-2017.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री अंजलि पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, धार का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती अंजलि पटेल” पति श्री अर्जुन पटेल करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

क्र. 894-गोपनीय-2017-दो-3-71-2017.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी नौशीन खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती नौशीन खान” करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

Jabalpur, Dated the 14th July 2017

No. 900-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—In continuation to this Registry Order No. 884-Confdl.-2017-II-2-1-2017, dated 10 July, 2017 issued in connection with Training Programme “Advance/Orientation Course (Second Batch) for the District Judges (Entry Level) promoted in the year 2017” scheduled to be held from 31 July to 5th August 2017, it is hereby ordered that the officers, whose names and posting figure in the endorsement are excluded from the list of participants, from attending the above programme due to administrative reasons.

आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल।

Jabalpur, the 13th July 2017

No. C-2971-III-6-6-64.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judges shown in the Column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said Table. This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Panna	Shri Amitabh Mishra, Special Judge under S. C. S. T. (POA) Act
2.	Katni	Smt. Kavita Verma, I ASJ

क्र. सी-2975-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री भगवत प्रसाद पाण्डे, अपर जिला न्यायाधीश, पवई, जिला पन्ना जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिए घना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, पवई में ही बैठक करेंगे। पवई-पन्ना श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. C-2975-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Bhagwat Prasad Pandey, Additional District and Sessions Judge, Pawai, District Panna who is directed to hold sitting at Panna in addition to his place of posting, Pawai for a period of 15 days in a month will now hold sitting at his place of posting, Pawai only. The sitting of Pawai-Panna Link Court is hereby discontinued.

क्र. C-2977- तीन-10-42-75.—उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में पन्द्रह दिवस की

अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हो, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

No. C-2977-III-10-42-75.—High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judges named in the Column no. (3) of the following Table shall also hold sitting at places mentioned in the Column no. (2) of the table in addition to their respective place of posting for period of 15th days in a month for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications if any, issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. (2) of the Table :—

क्र. C-2987-तीन-6-4-81-भाग-6.—मध्यप्रदेश डॉकेटी और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक E-3067-तीन-6-4-81-भाग-6, दिनांक 19 अप्रैल 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश की नियुक्ति की गई के संबंध में)	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमिताभ मिश्रा, विशेष न्यायाधीश ^(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, पन्ना.	राजस्व, जिला पन्ना	विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम पन्ना का न्यायालय।

No. C-2987-III-6-4- 81 Pt. VI.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E-3067-III-6-4- 81 Pt. VI dated 19th April, 2017, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Amitabh Mishra, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Panna	Revenue District Panna	Court of Special Judge, SC/ST (POA) Act, Panna.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक: एफ 4(ए)01/2012/ए-16, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(ए)01/2012/ए-सोलह, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को अधिकमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री राजशेखर सिंह, प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य के लिये "मुख्य कारखाना निरीक्षक" नियुक्त करता है।

No. F-4-(A)-01-2012-A-XVI In Supersession of this department Notification No. F-4-(A)-01-2012-A-XVI dated 27 April, 2017 and in exercise of power conferred by sub - section (2) of section 8 of the Factories Act. 1948 (63 of 1948), the State Government until further order, hereby, appoints Shri Raj Shekhar Singh, Incharge Director, Industrial Health & Safety, Madhya pradesh, Indore as "Chief Inspector of Factories" for the State of Madhya pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, उपसचिव.